भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

परिणामी बजट

2015-16

विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय	अध्याय का शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.		कार्यकारी साराशं	(i) to (iii)
2.	I	संगठनात्मक ढांचा और प्रमुख कार्यक्रम	1-5
3.	II	वार्षिक कार्यक्रम	6-12
4.	III	सुधार उपाय और नीतिगत पहल–प्रयास	13-19
5.	IV	पिछले निष्पादन की पुनरीक्षा	20-28
6.	V	वित्तीय पुनरीक्षा	29-30
7.	VI	सांविधिक निकायों और संबद्ध कार्यालयों के निष्पादन की पुनरीक्षा	31-48
8.		अनुलग्नक	49-54

कार्यकारी सारांश

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अन्य के साथ–साथ कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956 की शेष धाराओं, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम (एलएलपी अधिनियम, 2008), प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 आदि का प्रशासन करता है। ये कानून प्रभावी कारपोरेट कार्यप्रणाली और निवेशक संरक्षण के लिए अपेक्षित नियामक ढांचा उपलब्ध कराते हैं।

क. कंपनी (संशोधन), विधेयक, 2014

कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों के वास्तविक कार्यान्वयन में पक्षकारों के सामने आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को देखते हुए अधिनियम में शीघ्र अपेक्षित संशोधन करने के लिए कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 लोकसभा में 17.12.2014 को पारित किया गया है। कुछ संशोधन ''व्यापार करने की सुविधा'' में मदद करने तथा विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ''डुईंग बिजनेस 2015'' में उल्लिखित कतिपय कठिनाइयों का समाधान करने की दृष्टि से किए गए हैं। यह विधेयक अब राज्यसभा में लंबित है।

ख. इन संशोधनों में कंपनियों के लिए न्यूनतम प्रदत्त शेयरपूंजी की अपेक्षा हटाना, कंपनी की साझी मुहर को वैकल्पिक बनाना, लेखापरीक्षकों द्वारा केन्द्र सरकार को धोखाधड़ी की सूचना देने के लिए न्युनतम सीमा निर्धारित करना और कंपनियों के लिए इस न्यूनतम सीमा से कम राशि वाली धोखाधड़ी का मामलों से निपटना अनिवार्य बनाना, संबंधित पक्ष संव्यवहार के अनुमोदन में आम संकल्प को विशेष संकल्प से प्रतिस्थापित करना तथा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत धोखाधड़ी के अपराध को छोड़कर अन्य मामलों में जमानत देने के प्रावधान को उदार बनाना शामिल है।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ)

कंपनी अधिनियम में निवेशक जागरूकता को बढ़ावा देने और उनके हितों के संरक्षण के लिए निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के गठन का प्रावधान है।

इस प्रयास में मंत्रालय द्वारा तीन व्यवासायिक संस्थानों – भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सहयोग से निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों को दूर–दूर तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय निदेशकों और फील्ड कार्यालयों को भी सक्रिय रूप में भागीदार बनाया गया है। तद्नुसार क्षेत्रीय निदेशकों को धनराशि आंबटित की जाती है जो इन कार्यक्रमों के आयोजन में व्यवसायिकों संस्थानों के साथ सहयोग करते है। वर्ष 2014–15 के दौरान देशभर मे ऐसे एक हजार कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के अलावा यह मंत्रालय निवेशकों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही अभियान चलाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष के प्रशासन के लिए निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। इस कोष का प्रयोग दावा न की गई राशि की वापसीय निवेशक शिक्षा जागरूकता एवं संरक्षण को बढ़ावा देनेय जब्त की गई राशि का वितरण करनेय क्लास एक्शन सुईट के अंतर्गत कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति आदि के लिए किया जाएगा। अंतर्मंत्रालयी विचार–विमर्श वर्ष 2014–15 में पूरा होने की संभावना है।

राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान (एनएफसीजी)

राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान (एनएफसीजी) की स्थापना कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय उद्योग संघ, भारतीय चार्टर्ड अकांउटेंट संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से एक ट्रस्ट के रूप में की गई है। संस्थापक भागीदारों में एनएफसीजी के कोष में वित्तीय अंशदान किया है और प्रतिष्ठान के कार्यकलाप इस कोष से प्राप्त ब्याज के माध्यम से चलाए जाते है। भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान (जो अब भारतीय लागत लेखाकार संस्थान है), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) को भी एऩएफसीजी में सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।

प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य भारतीय कारपोरेट क्षेत्र में सुस्थायी संपदा सृजन के मूल के रूप में अच्छे कारपोरेट शासन व्यवहारों को बढ़ावा देना है। एनएफसीजी की शासी परिषद् नीति निर्माण के लिए सर्वोच्च स्तर पर कार्य करती है। इसकी अध्यक्षता कारपोरेट कार्य मंत्री द्वारा की जाती है। प्रतिष्ठान के कार्यकलापों का संचालन ट्रस्टी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव है।

एनएफसीजी के तत्वाधान में किए जा रहे कार्यकलापों में कारपोरेट शासन से संबंधित विषयों पर सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन, भारतीय कंपनियों में कारपोरेट शासन व्यवहारों पर अनुसंधान कार्यकलाप आदि शामिल हैं। एनएफसीजी राष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट शासन संबंधी विभिन्न प्रयासों में सामंजस्य बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है और विश्व के अन्य देशों में इसी प्रकार के संगठनों के संपर्क में रहता है।

भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान

भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) क्षमतानिर्माण, नीति योजना और सेवा सुपूर्दगी के लिए विचारक मंडल के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रालय की चालू प्लान योजना है। जिसका 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिव्यय 110.00 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2015–16 में आईआईसीए को 19.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम)

कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) 12वीं पंचवर्षीय योजना में दो वर्ष की अवधि (2015–17) के लिए 32.16 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंत्रालय की एक नई केंद्रीय क्षेत्र की प्लान योजना है। वित्त वर्ष 2015–16 के लिए सीडीएम को 5.00 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है।

कारपोरेट डाटा प्रबंधन योजना का उद्देश्य मंत्रालय में आंतरिक डाटा माइनिगं और विश्लेषण सुविधा का सृजन करना है ताकि कारपोरेट रजिस्ट्री में फाईल की गई व्यापक सूचना का प्रभावी उपयोग किया जा सके। सभी पक्षकारों को अधिक सुगम तरीके से प्रमाणित और स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध कराने के अलावा इस सुविधा का उद्देश्य मंत्रालय और सरकार में तथा इसके बाहर नीति और निर्णय करने वाली एंजेसियों को नियोजित और संगठित रूप से सूचना उपलब्ध कराना है।

एमसीए21 ई–गवर्नेंस परियोजना

मंत्रालय द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक कार्यालयों और दिल्ली स्थित एमसीए मुख्यालय में अनुपालन संबंध सेवाओं के लिए 'एमसीए21' नामक प्रारंभ से अंत तक ई–गवर्नेंस परियोजना चलाई जा रही है। यह परियोजना (i) व्यापार शुरू करने और (ii) व्यापार करने पर केंद्रीत करते हुए कंपनी अधिनियम के प्रशासन और सेवाओं की सुपूर्दगी में एक सेवा केंद्रीत दृष्टिकोण लाने में सफल रही है। यह परियोजना पिछले आठ वर्षो से सफलतापूर्वक चलाई गई है और मंत्रालय सरकार से व्यापार तक

(जीटूबी) और सरकार से नागरिकों तक (जीटूसी) सेवाओं में सुधार के लिए निरंतर उपाय करता रहा है। एमसीए21 ई–गवर्नेंस मिशन मोड परियोजना है जिसका उद्देश्य एक प्रयोगता अनुकूल, सक्षम और मितव्यी ढंग से सेवा अदायगी सुनिश्चित करके भारत में व्यापर में सहायता करना है। इस प्रणाली से सुपरिभाषित उद्देश्यों और निष्पादन मानदंडों के मिश्रण द्वारा पक्षकार सुविधा तथा नियंत्रण में संतुलन लाया गया है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (सीएटी) पूर्णतया कार्यरत हैं। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) आयोग के समक्ष लंबित सभी मामले (दिनांक 14.10.2003 को इसका विघटन होने तक) प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण अथवा प्रतिस्पर्धा आयोग को अंतरित हो गए हैं।

कंपनियों को बंद करना और परिसमापन

कंपनियों के समापन में विलंब को दूर करने के लिए मंत्रालय ने सांविधिक सुधार और ई–गवर्नेंस लाने की प्रक्रिया शुरू की है। शासकीय समापकों के क्षमता निर्माण पर भी विशेष बल दिया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मंत्रालय ने भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) को शासकीय समापक कार्यालयों के अधिकारियों का प्रशिक्षण देने का निदेश दिया है। प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय शासकीय समापकों द्वारा रखे जाने वाले साझें पूल फंड से संबंधित माननीय उच्च न्यायालयों के अनुमोदन से किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में मंत्रालय ने विषयवार अवर सचिव और समकक्ष अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी और उप सचिव/निदेशक स्तर तथा समकक्ष स्तर के अधिकारियों को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया है। इसके अलावा मंत्रालय ने सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति की समीक्षा, मॉनिटरिंग व निपटान के लिए आरटीआई मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ भी स्थापित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्य प्रावधान, जो लोक अधिकारियों के लिए अनिवार्य हैं, का अक्षरश् अनुपालन किया जा रहा है।

मंत्रालय द्वारा कंपनियों और सीमित देयता भागीदारियों संबंधित ई–सेवाएं इसके पोर्टल http://www.mca.gov.in के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। निवेशकों और उनके हितो की सुरक्षा के लिए www.iepf.gov.in भी उपलब्ध है।

अध्याय–I

संगठनात्मक ढांचा और प्रमुख कार्यक्रम

प्राक्कथन

मंत्रालय के अधिदेश में अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित अधिनियमों सहित कारपोरेट क्षेत्र के नियमन के लिए व्यापक कानूनों का प्रशासन शामिल है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी अधिनियम, 1956 की शेष धाराएं

(ii) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

(iii) सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008

(iv) चार्टर्ड अकांउटेंट अधिनियम, 1949

(v) लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959

(vi) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980

(vii) भागीदारी अधिनियम, 1932

(viii) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

(ix) कंपनी (राष्ट्रीय निधि में अंशदान) अधिनियम, 1951

क. संगठनात्मक ढांचा

कारपोरेट कार्य मंत्रालय का तीन स्तरीय संगठन है जिसमें नई दिल्ली स्थित मुख्यालय, नोएडा में महानिदेशक कारपोरेट का कार्यालय (डीजीसीए), राज्यों और संघशासित प्रदेशों में सात प्रादेशिक निदेशालय, पंद्रह कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, नौ कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक कार्यालय और चौदह शासकीय समापक कार्यालय हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में रजिस्ट्री कार्यों और समापन कार्यवाही के लिए बिलासपुर में दिनांक 01.04.2014 को कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक कार्यालय स्थापित किया गया है। शासकीय समापक मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं और संबंधित उच्च न्यायलयो से जुड़े हैं।

उपर्युक्त कार्यालयों के अतिरिक्त एक नोडल मंत्रालय के रूप में मंत्रालय अनेक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय जैसे कंपनी विधि बोर्ड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के कार्य संचालन के लिए भी उत्तरदायी है। साथ ही मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में गठित किए जाने वाले राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपील प्राधिकरण, विशेष न्यायालयों और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण के गठन से संबंधित मुद्दों का समाधान भी करता है।

ख. उपर्युक्त कार्यालयों/स्थापनाओं/संस्थानों का संक्षिप्त विवरण

1. प्रादेशिक निदेशक

देश के सात क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए क्रमशः नोएडा, चेन्नई, कोलकाता, मुबंई, अहमदाबाद, हैदराबाद और शिलांग में सात प्रादेशिक निदेशक कार्यालय हैं। ये प्रादेशिक निदेशक मंत्रालय और कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक और शासकीय समापक के क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच मध्यस्थ प्रशासनिक स्तर के रूप में कार्य करते हैं। इन कार्यालयों का मुख्य कार्य तकनीकी और प्रशासनिक मामलों में कंपनी रजिस्ट्रारों और शासकीय समापको को परामर्श तथा दिशानिर्देश देना, कंपनियों के कार्यकलापों और परिचालन के संबंध में सरकार को सूचना देना और केंद्र सरकार तथा संबंधित

राज्य सरकार के बीच संपर्क का कार्य करना शामिल है। इसी प्रकार ये कार्यालय कंपनी रजिस्ट्रारो, कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक और शासकीय समापकों के दिन प्रतिदिन कार्यों में प्रशासनिक पर्यवेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक निदेशकों को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कतिपय कार्य लेने और उनका प्रत्यक्ष रूप से निपटान करने का अधिकार भी दिया गया है।

2. कंपनी रजिस्ट्रार/कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक

कंपनी रजिस्ट्रार के 24 कार्यालय (कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक के 9 कार्यालयों सहित) देशभर में स्थित हैं। ये कार्यालय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित रजिस्ट्री कार्य जिनमें कंपनियों का निगमन, सांविधिक वार्षिक फाइलिंग और घटना आधारित रिटर्न/आवेदन आदि स्वीकार करना और जहां कहीं अपेक्षित हो अनुमोदन प्रदान करना जैसे कार्य करते हैं। रजिस्ट्रार अपने–अपने क्षेत्राधिकार में निगमित कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन हेतु भी उत्तरदायी हैं। नियामक कार्यों में कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत फाइल किए जाने वाले वार्षिक रिटर्न, तुलन पत्रों और अन्य कागजातों की संवीक्षा, ऐसी समीक्षा के परिणास्वरूप देखी गई अनियमितताओं और गैर–अनुपालन पर अपेक्षित कार्रवाई करना और और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करना शामिल है। उपर्युक्त के अलावा 9 कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक कार्यालय भी शासकीय समापकों के दायित्व का निर्वाह करते हैं।

3. शासकीय समापक

शासकीय समापकों के 14 कार्यालय (कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापकों के 9 कार्यालयों को छोड़कर) देशभर में स्थित हैं। शासकीय समापक और कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और ये संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों से संबद्ध है। शासकीय समापक अनिवार्य परिसमापनाधीन कंपनियों के कार्यो के प्रभारी हैं। शासकीय समापकों का प्रमुख कार्य समापनाधीन कंपनियों की परिसंपत्तियों का प्रशासन करना, परिसंपत्तियों का विक्रय और परिसमापनाधीन कंपनियो से संबंधित सभी बकाया ऋणों की वसूली, प्राप्त आय का वितरण विभिन्न देनदारों, कर्मचारियों और अन्य पक्षकारों के बीच करना है जिसके बाद कंपनी का उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अंतिम रूप से विघटन किया जाएगा।

4. कंपनी विधि बोर्ड

कंपनी विधि बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10ङ के अंतर्गत स्थापित स्वतंत्र अर्धन्यायिक संस्था के रूप में 31.05.1991 से कार्यरत है। कंपनी विधि बोर्ड ने भकंपनी विधि बोर्ड नियमन 1991 तैयार किए हैं जिनमें इसके समक्ष आवेदन/याचिकाएं दायर करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार ने कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष आवेदन/याचिकाएं दायर करने के लिए शुल्क निर्धारित करते हुए भकंपनी विधि बोर्ड (आवेदनों और याचिकाओँ पर शुल्क) नियम,1991 भी तैयार किए हैं।

बोर्ड की प्रधान खंडपीठ नई दिल्ली में है परंतु यह अपने विवेकाधिकार से या सभी पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर किसी भी स्थान पर बैठ सकती है। इसके नई दिल्ली, कोलकाता, मुबंई और चैन्नई में 4 क्षेत्रीय खंडपीठ हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 250, 269, 388ख के अंतर्गत आने वाले मामलों का निपटान प्रधान पीठ द्वारा किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58कक, 79/80क, 111/111क, 113/113क, 117,117ग, 118,144, 163, 167, 186, 196, 219, 235, 237(ख), 247, 284, 304, 397/398, 408, 409, 614 और 621क तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(41), 58 और 59, 73 और 74 तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45थक के अंतर्गत आने वाले मामलों का निपटान एक या अधिक सदस्यों वाली क्षेत्रीय खंडपीठों यथा नई दिल्ली, कोलकाता, मुबंई और चैन्नई खंडपीठ द्वारा किया जाता है।

यदि कोई कंपनी विधि बोर्ड द्वारा इस प्रकार से पारित

आदेशों में निहित निदेशों का अनुपालन नहीं करती है तो आदेशों को बाध्य करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 634क के अंतर्गत आवेदन पर विचार किया जाता है।

कंपनी अधिनियम की धारा 10च के संबंध में कंपनी विधि बोर्ड के आदेश या किसी निर्णय से शिकायत होने पर कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय या आदेश की सूचना मिलने की तारीख से 60 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

कंपनी विधि बोर्ड की 9 सदस्यों (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित) की स्वीकृत संख्या की तुलना में 31.12.2014 तक कंपनी विधि बोर्ड का गठन इस प्रकार है;

1. न्यायामूर्ती श्री डी.आर. देशमुख, अध्यक्ष, कंपनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली।
2. श्री कांति नरहरि, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड, चैन्नई खंडपीठ।
3. श्री बी.एस.वी प्रकाश कुमार, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड नई दिल्ली खंडपीठ।
4. श्री धनराज, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड, कोलकाता खंडपीठ।
5. श्री ए.के. त्रिपाठी, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड, मुंबई।

बोर्ड को अनुमोदित योजना के अनुसार कंपनियों के पास जमाराशि की वापसी न करने वाली कंपनियो के विरूद्ध आदेश पारित करके निवेशकों/जमाधारकों के हितों की सुरक्षा करने का अधिकार है। कंपनी विधि बोर्ड की कारपोरेट विवादों के समाधान और अल्पमत शेयरधारकों के हितो की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। कंपनी विधि बोर्ड जनहित में और कंपनियों के प्रभावित प्रबंधन के लिए विवादों का अंत करने हेतु आदेश पारित करता है। यदि केंद्र सरकार का यह विचार हो कि किसी कंपनी के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति धोखाधड़ी का दोषी है कंपनी के कार्य जनहित के प्रतिकूल किए जा रहे है तो वह व्यक्ति सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी विधि बोर्ड में आवेदन कर सकता है।

5. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना 2003 में अधिनियमित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत की गई है। अधिनियम में 2007 में संशोधन किया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना अधिनियम का प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन करने के लिए की गई थी और इसे मार्च, 2009 में विधिवत् गठित किया गया। आयोग के उद्देश्य इस प्रकार हैः–

- प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना
- बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और स्थिर बनाना
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना
- भारत में बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और इससे संबंधित या जुड़े अन्य मामले

अपने उद्देश्यों के अनुसरण में आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैंः

- अर्थव्यवस्था के शीघ्र और समग्र विकास तथा प्रगति के लिए देश में आर्थिक क्रियाकलापों में निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना
- आर्थिक संसाधनों का सक्षम उपयोग करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा नीतियों का कार्यान्वयन
- प्रतिस्पर्धा कानून के अनुरूप क्षेत्रीय नियामक कानूनों के साथ संबद्ध और संपर्क विकसित व पोषित करना
- भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा समर्थन और सभी पक्षकारों के बीच प्रतिस्पर्धा के लाभों पर सूचना का प्रसार

6. प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण

प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण की स्थापना 15.05.2009 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत की गई थी। जिसके

पास भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्देशों या निर्णयों के विरूद्ध अपीलें सुनने और आयोग और अधिकरण के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले हर्जानें के दावों का निर्णय करने का अधिकार है।

7. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की स्थापना सरकार द्वारा दिनांक 01.09.2003 के मंत्रिमंडल नोट द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद दिनांक 02.07.2003 को एक संकल्प के माध्यम से की गई थी। नए कंपनी अधिनियम, 2013 में अन्य के साथ–साथ एसएफआईओ को सांविधिक दर्जा दिया गया है और इसके कार्यों और अधिकारों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। एसएफआईओ एक बहुविषयक जांच एंजेसी है जिसमें बैंकिंग, पूंजीबाजार, कंपनी विधि, कानून, फोरेंसिक लेखा परीक्षा, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के सुविज्ञ शामिल हैं।

8. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी)

कंपनी अधिनियम, 2013 का अध्याय ग्टप्प् राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) की स्थापना से संबंधित है। अधिनियम की धारा 408 में एनसीएलटी के गठन का प्रावधान है जो ऐसे अधिकारों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगा जो उसे अधिनियम अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा या अंतर्गत प्रदान किए जाएं। इसके अलावा धारा 410 में अधिकरण के आदेशो के विरूद्ध अपील सुनने के लिए एनसीएलएटी के गठन का प्रावधान है।

9. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान

i) भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान की स्थापना विश्व स्तर के संस्थान के रूप में भसहक्रियाशील ज्ञान प्रबंधन, वैश्विक भागीदारी और व्यवहारिक समाधानों के माध्यम से कारपोरेट विकास, सुधारों एवं नियमन में सहायता हेतु एक विचारक मंडल, क्षमतानिर्माण, सेवा अदायगी संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। संस्थान को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

ii) अन्य कार्यों के अलावा संस्थान से मंत्रालय को वर्तमान कारपोरेट कानूनों, नियमों एवं विनियमनों की पुनरीक्षा/संशोधन में सहायता करने के साथ–साथ बदलते हुए आर्थिक परिवेश की अपेक्षाओं को देखते हुए नए कानूनों को तैयार करने में सहायता करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा यह संस्थान भारतीय कंपनी विधि सेवा तथा मंत्रालय में कार्यरत अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है तथा सुधार प्रयासों में मदद करता है।

ग. मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम

1. विधायी पहलः–

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में आने वाले व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए अधिनियम में अपेक्षित संशोधन करने हेतु कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 लोक सभा में दिनांक 17.12.2014 को पारित किया गया है। कुछ संशोधन ''व्यापार करने की सुगमता'' और विश्व बैंक द्वारा इसकी रिपोर्ट ''डुईंग बिजनेस 2015'' में इस संबंध में उल्लिखित कुछ कठिनाइयों के समाधान हेतु किए गए हैं। यह विधेयक फिलहाल राज्यसभा में लंबित है।

इन संशोधनों में कंपनियों के लिए न्यूनतम प्रदत्त शेयरपूंजी की अपेक्षा हटाना, कंपनी की साझी मुहर को वैकल्पिक बनाना, लेखापरीक्षकों द्वारा केन्द्र सरकार को धोखाधड़ी की सूचना देने के लिए न्युनतम सीमा निर्धारित करना और कंपनियों के लिए इस न्यूनतम सीमा से कम राशि वाली धोखाधड़ी का मामलों से निपटना अनिवार्य बनाना, संबंधित पक्ष संव्यवहार के अनुमोदन में आम संकल्प को विशेष संकल्प से प्रतिस्थापित करना तथा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत धोखाधड़ी के अपराध को छोड़कर अन्य मामलों में जमानत देने के प्रावधान को उदार बनाना शामिल है।

2. एमसीए21 ई–गवर्नेंस परियोजना

''एमसीए21'' ई–गवर्नेंस परियोजना के सफल परिचालन के परिणामस्वरूप सांविधिक अनुपालन और राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। मंत्रालय इस कार्यकलाप से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को अगले उन्नत सुधार स्तर तक ले जाने के लिए (वर्जन 2) कार्य कर रहा है। इस प्रक्रिया में जो उपाय किए जाने है उनमें सैप सीआरएम और वर्कफ्लो का कार्यान्वयन, उन्नत प्रौद्योगिकी और मॉनिटरिंग साधनों के साथ हार्डवेयर में सुधार शामिल है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्रसार के अलावा भारत सरकार ओपन डाटा प्लेटफार्म कंजंण्हवअण्पद और वीपीडी (सरकारी कागजात देखें) सेवा के माध्यम से 16 संसाधनों से सेवा अदायगी कर रहा है। इसके अतिरिक्त एमसीए21 को आंकड़ो के आदान–प्रदान और प्रसार के लिए विभिन्न सरकारी (जैसे स्थायी खाता संख्या (पैन), ट्रेडमार्क (टीएमआर), विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस (ई–बिज), इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर (ईताल), पेमेंट टू गवर्मेंट (पे–गव) आदि) के साथ–साथ गैर–सरकारी विभागों (जैसे क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के साथ भी जोड़ा गया है।)

3. कारपोरेट डाटा प्रबंधन

प्लान योजना के चार प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं–

(i) पक्षकारों के प्रयोग के लिए आंकड़ों और सूचना को संसाधित/तालिका स्वरूप में प्रसारित करना

(ii) नीति निर्माण प्रयोजनों के लिए सरकारी विभागों और एंजेसियों के प्रयोग हेतु आंकड़ों को संसाधित करने के बाद क्स्टमाईज स्वरूप में कारपोरेट सूचना का आदान–प्रदान

(iii) कारपोरेट डाटा माइनिंग और सूचना प्रबंधन के लिए मंत्रालय की आंतरिक क्षमताओं में वृद्धि और संस्थानिकरण ताकि भारतीय कारपोरेट क्षेत्र सरकारी आंकड़ों के लिए सर्वाधिक प्रमाणित और अद्यतन ''ज्ञान केंद्र'' बन सकें।

(iv) कारपोरेट क्षेत्र, कारपोरेट शासन, निवेशक संरक्षण आदि के विकास संबंधी विषयों पर अनुसंधान एवं अध्ययन को बढ़ावा देना जिससे साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होगा।

4. अवसंचरना का सुदृढ़ीकरण

निर्मित कार्यालय स्थल की खरीद और वर्तमान स्थलों की मरम्मत/दुबारा फर्निशिंग करके मंत्रालय की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है। इस दिशा में जयपुर, चड़ीगढ़ और कटक में नए कार्यालय परिसरों का निर्माण किया गया है। चैन्नई और बंगलुरू में निर्मित कार्यस्थल खरीदे गए हैं। हैदराबाद में नए कार्यालय परिसर का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है।

5. प्रशासनिक पहल

(क) शासकीय समापक कार्यालयों में ई–गवर्नेंस का प्रारंभ

(ख) मुख्यालय के अधिकारियों के लिए कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) और डाटा माइनिगं सिस्टम (डीएमएस) शुरू करना

(ग) सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 के लिए उन्नत ई–गवर्नेंस

(घ) अनुपालन और नियामक कार्यों का सुदृढ़ीकरण

(ड़) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) का क्षमता निर्माण और संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार आईसीएलएस पदों को भरना

अध्याय–II

वित्तीय परिव्यय, अनुमोदन वास्तविक निर्गत और बजट निष्कर्ष

2.1 पिछले दो वर्षों के दौरान योजना और गैर–योजना शीर्ष के तहत बजट प्रावधान और व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित हैः–

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	संशोधित अनुमान के संबंध में व्यय का %
2013-14	255.28	233.36	229.21	98.22
2014-15	255.25	251.92	179.58*	71.28

*** दिसंबर, 2014 तक**

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, 233.36 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में से 229.21 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया जो संशोधित बजट 2013–14 का 98.22% है। चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिसंबर, 2014 तक 179.58 करोड़ रुपए व्यय हुए, जो 251.92 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान का 71.28% है।

2.2 247.88 करोड़ रुपए के गैर–योजना बजट (2015–16) व्यय में मुख्यतः एमसीए मुख्यालय और इस मंत्रालय के फील्ड और संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के स्थापना व्यय के लिए अपेक्षित निधि शामिल है। इसमें (i) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली का स्थापना व्यय और (ii) देश के विभिन्न स्थानों पर गैर–योजना पूंजीगत परिव्यय के तहत मंत्रालय के बुनियादी सुविधा संबंधी कार्य भी शामिल हैं।

2.3 19.00 करोड़ रुपए के योजना बजट (2015–16) व्यय में मुख्यतः भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान की स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियां शामिल है। इसमें भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान मानेसर, हरियाणा के लिए पूंजीगत परिव्यय हेतु 0.10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान भी शामिल है।

2.4 कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) को 12वीं पंचवर्षीय योजना में दो वर्ष की अवधि (2015–17) के लिए 32.16 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंत्रालय की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीम के रूप में प्रारंभ किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 4.00 करोड़ रुपए के योजना बजट (2015–16) में मुख्यतः राजस्व खंड के तहत कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) के लिए अपेक्षित निधियां और पूंजी पत्र पर 1.0 करोड़ रुपए शामिल है। योजना में एक आंतरिक डाटा माइनिंग और विश्लेषण सुविधा का सृजन किया गया है जिससे मंत्रालय में अपनी कारपोरेट रजिस्ट्री में फाइल विस्तृत सूचना का प्रभावी ढ़ंग से उपयोग हो सके और पत्रकारों तक लगातार डाटा पहुंच सके।

2.5 मंत्रालय के बजट अनुमान के योजना और गैर–योजना आबंटनों के तहत वार्षिक कार्यक्रम (2015–16) और स्वीकृत आबंटन की तुलना मं अनुमानित निष्कर्ष नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

क्र.सं	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015–16			गणना योग्य परिणामध्भौतिक उत्पादन	अपेक्षित परिणाम	प्रक्रिया/समय–सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर–योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1	**सूचना प्रौद्योगिकी** (पूर्व में कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण कंप्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग)	गति, निश्चितता दक्षता तथा पारदर्शिता के साथ सभी रजिस्ट्री संबंधित सेवाओं की ऑन–लाइन डिलीवरी। प्रणाली को संभव सीमा तक कागज़ रहित बनाना। कंपनी के सार्वजनिक दस्तावेजों की नागरिकों को आसान तथा ऑनलाइन पहुंच मुहैया करवाना। कंपनियों द्वारा सांविधिक अनुपालन की प्रभावी रूप से मानीटरिंग	37.00 करोड़ रूपए	–	–	अधिकांश प्ररूपों को स्ट्रेट थ्रु प्रोसेस (एसटीपी) बनाकर और कंपनी रजिस्ट्रारों के निष्पादन की बैंचमार्किंग द्वारा सक्षम सेवा अदायगी। नई प्रस्तुति, उपभोक्ता अनुकूल पोर्टल का अनुभव	भारत में व्यापार करने की सुगमता के साथ एक स्थिर, विश्वसनीय और सक्षम ई–गवर्नेंस प्रणाली	एमसीए 21 परियोजना के अंतर्गत परिणाम और भौतिक उत्पादन कार्यक्रम में सुधार और मूल्य वृद्धि का एक भाग हैं तथा ये परिणाम वर्ष के दौरान निरंतर आधार पर प्राप्त किए जाने हैं।	आपरेटर द्वारा उपयुक्त प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराकर तथा समय पर परिणाम देने पर निर्भर है।
						मॉनिटरिंग अनुपालन द्वारा प्रभावी नियमन	सांविधिक प्रावधानों का बेहतर अनुपालन और नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण		
						प्रणाली में उपलब्ध मॉड्यूल का प्रयोग बढ़ाकर इस्तेमाल में सुधार	प्रयोजना उद्देश्यों की प्राप्ति और सेवाओं की बेहतर ढंग से अदायगी		
						परिचालन अपेक्षाएं पूरी करने के लिए एमआईएस में सुधार	अनुपालन प्रबंधन संबंधी सूचना		
		पेपरलेस ई–फाइलिंग प्रक्रिया द्वारा सीमित देयता भागीदारी सेवाओं की ऑनलाइन अदायगी तथा सांविधिक शुल्क के भुगतान के विविद तरीकों का विकल्प देना				एमसीए21 में व्यू पब्लिक डाक्यूमेंट्स के साथ–साथ कंपनी रजिस्ट्री में विद्यमान इसी प्रकार की विशेषताओं के साथ पूरी तरह ओटेमेटेड बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस	अवरोधमुक्त इलेकट्रानिक फाइलिंग, एलएलपी शुल्क का इलेक्ट्रानिक रूप से भुगतान	परिणाम वर्ष के दौरान निरंतर आधार पर प्राप्त किए जाने हैं	वहीं
		एचआरएमएस के कार्यों और एमसीए–21 के लेखांकन का विस्तार करना जिससे शासकीय समापक के				एचआरएसएम, लेखों का रिकॉर्ड, ई–नीलामी का इलैक्ट्रानिक रख–रखाव।	परियोजना लक्ष्यों की प्राप्ति और सेवाओं की बेहतर अदायगी।	वहीं	वहीं

क्र.सं	स्कीम / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2015–16			गणना योग्य परिणामध्मौतिक उत्पादन	अपेक्षित परिणाम	प्रक्रिया / समय–सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर–योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
		कार्यालयों और ओएल संबंधित ई–नीलामी के कार्यान्वयन को शामिल किया जा सके।							
		एमसीए21 वी2 में नए कंपनी अधिनियम के कार्यान्वयन को शामिल करना				मॉनिटरिंग अनुपालन द्वारा प्रभावी नियमन सहित सक्षम सेवा अदायगी	एक स्थिर, विश्वसनीय और सक्षम ई–गवर्नेंस प्रणाली	वहीं	वहीं
2.	**भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)**	क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	51.00 करोड़ रूपए	––	—	परिणाम गणना योग्य नहीं है। तथापि वर्ष के दौरान नियोजित कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं– (i) भारत में सीसीआई अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु कार्यशाला / सेमिनार / सम्मेलन का आयोजन (ii) सीसीआई अधिकारियों के लिए विदेशों में उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता (iii) सीसीआई अधिकारियों द्वारा विदेशों जैसे यूनाईटेड स्टेट्स फेडरल ट्रेड कमीश्न (यू., एएस.एफ.टी. सी.) आदि में इटर्नशिप कार्यक्रमों में सहभागिता (iv) बहुपक्षीय और अन्य प्रतिस्पर्धा एंजेसियों के सम्मेलन / कार्यशालाओँ, जहां आमंत्रित किया जाए, में सहभागिता (v) अन्य देशों के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के साथ संबंध		2015–16 के दौरान	

क्र.सं	स्कीम / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2015–16			गणना योग्य परिणामध्मौतिक उत्पादन	अपेक्षित परिणाम	प्रक्रिया / समय–सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर–योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
						बनाना तथा समझौता ज्ञापन (vi) विधि, प्रबंधन, अर्थशास्त्र और अन्य संस्थानों के साथ ज्ञान भागीदारी प्रयास (vii) ''मान्यता प्राप्त प्राप्तविजिटर नॉलेज शेयरिंग सीरीज के अंतर्गत'' व्याख्यान (viii) यूएसएफटीसी, यूरोपियन संघ, ऑस्ट्रेलियन कॉम्पटिशन एंड कंज्यूमर्स कमीशन तथा अन्य के साथ सीसीआई अधिकारीयों की फेलोशिप (ix) प्रवर्तन सहयोग के लिए मुख्य क्षेत्राधिकारों में सदस्यों तथा अध्यक्ष का दौरा (x) सीसीआई अधिकारियों के लिए शिक्षा संस्थानों में विदेशी / घरेलू प्रशिक्षण			
3.	**निवेशक शिक्षा एंव सुरक्षा निधि**	बेहतर निवेशक जागरूकता	4.50 करोड़ रूपए			निवेशक जागरूकता के लिए इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया अभियान	विभिन्न वित्तीय कागजातों और म्यूचुअल फंड आदि के बारे में निवेशकों को जानकारी देना	मार्च, 2016	
						भुगतान और दावा न की गई राशि के आंकड़े वेबसाइट www.iepf.gov.in पर अद्यतन करना।	निवेशकों को उपलब्ध निवेश विकल्पों और उनमें शामिल जोखिम की जानकारी देनाय निवेशकों में वित्तीय जागरूकता फैलाना।		

क्र.सं	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015–16			गणना योग्य परिणामध्मौतिक उत्पादन	अपेक्षित परिणाम	प्रक्रिया/समय–सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर–योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
4.	**गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ)**	गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में जांच क्षमता को विकसित व मजूबत करना और गंभीर धोखाधड़ी मामलों में प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना।	11.56 करोड़ रूपए	–	–	(i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा एसएफआईओ को 31.03.2014 तक भेजे गए सभी मामलों की जांच पूरी करना	(i) अधिकतम मामलो में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा लंबित मामलो को समाप्त करना	2015–16 के दौरान	(क) प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी
						(ii) जिन मामलो में 31.03.2014 तक अभियोजन स्वीकृति दी गई है, उनके संबंध में निर्दिष्ट न्यायालयों के समक्ष शिकायतें दायर करना	(ii) निर्दिष्ट न्यायालयों में शिकायतें दायर करना और बकाया समाप्त करना		(ख) धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि
						(iii) विभिन्न जांच तकनीकों में अधिकारियों को प्रशिक्षण देना	(iii) दक्षता विकास		(ग) अभियोजकों/विधि अधिकारियों की कमी
5.	**अवसंरचना** कार्यालय परिसरों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण और जहां संभव हो कार्यालय भवन की खरीद।	मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों को संवर्धित निष्पादन स्तरों वाला आधुनिक कार्य परिवेश प्रदान करना।	28.00 करोड़ रूपए			अहमदाबाद में संबद्ध और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कारपोरेट भवन	जगह संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना और सक्षम कार्य परिवेश प्रदान करना।	2015–16 के दौरान	सरकारी एजेंसियों से उपयुक्त भूमि की उपलब्धता।
6.	**भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) प्लान स्कीम योजना**	मंत्रालय को कारपोरेट क्षेत्र और अन्य पक्षकारों की आशाओं के अनुरूप, बदलते व्यापार, परिदृश्य में गतिशील विनियामक ढांचा उपलब्ध कराने	–	19.00 करोड़ रूपए	–	i) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) की मदद से आईएमटी, मानेसर में आईआईसीए परिसर में अतिरिक्त पूंजी निर्माण कार्य (फेज–II)	बेहतर अवसंरचना	2015–16 के दौरान	

क्र.सं	स्कीम / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2015–16			गणना योग्य परिणामध्मौतिक उत्पादन	अपेक्षित परिणाम	प्रक्रिया / समय–सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर–योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
		में सहायता करने के लिए आधुनिक जानकारी प्रबंधन क्षमता निर्माण और सेवा सुपर्दगी केन्द्र की स्थापना करना।				ii) आईआईसीए में (क) स्कूल्स ऑफ कारपोरेट लॉ (ख) सेंटर फॉर बिजनेस इनोवेशन के लिए मॉड्यूल का पूरा पाठ्यक्रम विकसित करना।	एमसीए अधिकारियों का क्षमता निर्माण		
						(iii) कारपोरेट शासन, प्रतिस्पर्धा कानून, वित्त, कारपोरेट विधि, कारपोरेट संचार और व्यापार नवाचार के क्षेत्रों में अल्पकालीन क्षमता निर्माण कार्यक्रम	वहीं		
						(iv) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) वेब पोर्टल और डाटा विश्लेषण मंच की स्थापना जिसमें कंपनियों का भौगोलिक डाटा आधार शामिल है।	कारपोरेट सामाजिक दायित्व वेब पोर्टल और डाटा विश्लेषण मंच शुरू करना		
						(v) वित्त वर्ष 2014–15 के लिए 1.50 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व लक्ष्य	वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना		
7.	**कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम)**	1) पक्षकारों के प्रयोग हेतु संसाधित / तालिका रूप में सूचना और आंकड़ो का प्रसार 2) नीति निर्माण प्रयोजनों के लिए सरकारी विभागों और एंजेसियों के उपयोग हेतु कस्टमाईज स्वरूप में कारपोरेट सूचना	–	5.00 करोड़ रुपए	–	1. कंपनी के वित्तीय और गैर वित्तीय पक्ष पर यूनिट स्तर (कंपनी स्तर) डाटा प्रपत्र विकास 2. सांविधिक सूचना का सांख्यिकी डाटा आधार में परिवर्तन 3. भारतीय कारपोरेट पर आवधिक सांख्यिकी सारांश रिपोर्टें तैयार करना 4. डाटा विश्लेषण और डाटा माइनिंग में आंतरिक क्षमता का विकास	अन्य के साथ–साथ विवेकपूर्ण निर्णय में मदद करना, कारपोरेट शासन में सुधार, निवेशक संरक्षण का सुदृढ़ीकरण	2015–16 के दौरान	यूनिट लेवल डाटा प्रसार के लिए प्ररूप तैयार करने के लिए पहले सूचीबद्ध कंपनियों के डाटा आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

क्र.सं	स्कीम / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2015–16			गणना योग्य परिणामध्भौतिक उत्पादन	अपेक्षित परिणाम	प्रक्रिया / समय–सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर–योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
		और आंकड़ो का आदान–प्रदान 3) भारतीय कारपोरेट क्षेत्र आंकड़ो के लिए सर्वाधिक प्रमाणित और अद्यतन ज्ञान केंद्रश के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रालय की आंतरिक क्षमताओँ में वृद्धि और संस्थानिकरण 4) कारपोरेट क्षेत्र, कारपोरेट शासन, निवेशक संरक्षण आदि के विकास से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान और अध्ययनों को बढ़ावा देना ताकि साक्ष्य आधारित निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सके।								

अध्याय-III

सुधार प्रयास और नीतिगत पहल

1. सांविधिक सुधारः

(क) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 :–

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने के समय से ही उसके प्रावधानों के वास्तविक क्रियान्वयन में पत्रकारों के सम्मुख आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए कंपनी अधिनियम में अपेक्षित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने के लिए लोकसभा ने दिनांक 17.12.2014 को कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया। कुछ संशोधन ''व्यवसाय मेंआसानी'' को अधिक सुगम बनाने की दृष्टि से तथा उस संबंध में विश्व बैंक की अपनी रिपोर्ट ''डुइंग बिजनेस 2011'' में उजागर कुछ समस्याओं से संबंधित हैं। विधेयक अब राज्यसभा में लंबित है।

इन संशोधनों में कंपनियों के लिए न्यूनतम चूकता शेयर पूंजी की आवश्यकताओं को दूर करना कंपनी की सामान्य मोहर को वैकल्पिक बनाना, केंद्रीय सरकार को लेखा परीक्षकों द्वारा धोखधड़ी की रिपोर्ट देने के लिए ऐसी अवसीमा से नीचे धोखाधड़ी के मामलों को देखने के लिए कंपनियों के लिए इसे अनिवार्य करते हुए कुछ संबंधित पत्र लेन–देन (आरपीटी) के स्पष्टीकरण में एक विशेष, संकल्प के स्थान पर सामान्य संकल्प की प्रतिस्थापना करना और कंपनी अधिनियम के तहत धोखाधड़ी के अपराधों के अलावा जमानत देने के प्रावधानों में उदारीकरण आदि सम्मिलित है।

(ख) सीमिति देयता भागीदारी अधिनियम, 2008

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधान दिनांक 31.03.2009 से लागू करने के लिए अधिसूचित किए गए। सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 दिनांक 01 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किए गए। सीमित देयता भागीदारी (परिसमापन और विघटन) नियम, 2012 दिनांक 10.07.2012 के सा.का.नि. संख्या 550(अ) के द्वारा अधिसूचित किए गए। एलएलपी कारपोरेट निकाय स्वरूप में एक नया साधन है और अतः, इसका एक पृथक कानूनी असतित्व है। यह अपनी शासन प्रक्रिया और सरल अनुपालन रूपरेखा की सहायता के लिए एक एलएलपी में भागीदारों को लचीलापन देते हुए सीमित देयता का लाभ प्रदान करता है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 11.06. 2012 से अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाले कंपनी रजिस्ट्रारों को एलएलपी रजिस्टर करने का अधिकार देते हुए एलएलपी पंजीकरण प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण कर दिया है। वर्ष के दौरान, मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि स्थावर संपदा निवेश न्यास या अवसंरचना निवेश न्यास के मामले में किसी न्यास का प्रतिनिधित्व करने वाला न्यासी यह कथन कि वह एक न्यासी है, जोडे बिना अपने नाम में एलएलपी में भागीदारी धारित करने से रोका नहीं जाता है।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 / नए संस्थानः–

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में 470 धाराएं और 7 अनुसूचियां है। अधिनियम की 283 धाराएं लागू कर दी गई है संबंधित नियमों के 22 सेट भी दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से लागू हो गए है। इन धाराओं ने विश्व में सर्वोत्तम प्रणालियों के समान कारपोरेट शासन और अल्पमत निवेशक सुरक्षा के लिए रूपरेखा को सुदृढ़ बनाया है। अधिनियम के शेष प्रावधान, जो अभी तक लागू नहीं किए गए हैं, मुख्यतया राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और उसकी अपीलीय संस्था अर्थात् राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) की कार्यप्रणाली से संबंधित है। इन निकायों की संस्था के गठन

से संबंधित प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि और विशेष अदालतों का सृजन/पदनाम की स्थापना से संबंधित अन्य प्रावधान प्रारंभ किए जाने है। चूंकि इसके लिए अन्य नियामकों/निकायों के साथ परामर्श संबंधित अवसंरचना का सृजन और योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति अपेक्षित है, ये विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है।

(ii) सभी संगत सूचनाएं अर्थात् कंपनी अधिनियम, 2013 का पाठ, उसके अधीन विहित सभी नियम, अधिनियम के अधीन जारी विभिन्न अधिसूचनाएँ, परिपत्र और आदेश सभी हितधारकों के सूचनार्थ इस मंत्रालय की वेबसाइट पर रखे गए हैं।

(iii) मंत्रालय ने अधिनियम के कतिपय प्रावधानों के कारण आने वाली कठिनाईयों को हटाने की दृष्टि से हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर और क्षेत्रीय विनियामकों और व्यवसायिक संस्थानों के साथ विचार–विमर्श करके, जहां अपेक्षित हो, विभिन्न स्पष्टीकरण जारी किए हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन नियमों में संशोधन किया है।

(iv) आगे, हितधारकों से प्राप्त प्रत्यावेदनों के मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन का प्रस्ताव कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 में किया गया है जो लोक सभा द्वारा 17.12.2014 को पारित किया गया और वर्तमान में राज्य सभा में विचाराधीन है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक –

वित्त मंत्री ने 2014–15 के अपने बजट भाषण में भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) की घोषणा की थी, अर्थात्, जो मुख्यतया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) आधारित लेखांकन मानक हैं और जो वित्त वर्ष 2015–16 से भारतीय कंपनियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से लागू किए जाएंगे और वित्त वर्ष 2016–17 से अनिवार्य आधार पर लागू होंगे। बैंकों, बीमा कंपनियों और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए इंड एंएस के कार्यान्वयन की घोषणा उनके संबंधित विनियामकों द्वारा बाद में की जाएगी। इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

(ड़) सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) सूचना –

(क) दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार एलएलपी का आंकड़ा

एलएलपी प्रकार	31.12.2014
पंजीकृत एलएलपी (संपरिवर्तन सहित)	30847
फर्मों का एलएलपी में संपरिवर्तन	400
कंपनियों का एलएलपी में संपरिवर्तन	2561
1.4.2014 से 31.12.2014 की अवधि में निगमित एलएलपी की कुल संख्या	9062

(ख) 31.3.2013, 31.3.2014 और 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार निगमित एलएलपी (संपरिवर्तन सहित) की संख्या

क्रम सं.	अवधि	निगमित एलएलपी की संख्या
(i)	2012-13 (31.3.2013 की स्थिति के अनुसार)	13803
	2013-14 (31.3.2014 की स्थिति के अनुसार)	21785
	(31.12.2014 की स्थिति के अनुसार)	30847
(ii)	एलएलपी में क्रमशः संपरिवर्तित फर्म/कंपनियों की कुल संख्या	2961
(iii)	31.3.2014 तक निगमित एलएलपी की कुल संख्या	30847

(च) कारपोरेट शासन –

कंपनी अधिनियम, 2013 में भारत में कारपोरेट शासन का स्तर सुधारने से संबंधित निम्नलिखित मामलों के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण उपबंध हैं –

1. कंपनी और इसके प्रबंधन पर मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के माध्यम से अधिक उत्तरदायित्व, जिन्हें अधिनियम खविभिन्न दंडात्मक धाराओं के साथ पठित धारा 2(60)/2(51)/203, के अधीन कंपनियों द्वारा की गई चूकों के मामले में जवाबदेही तय करने की दृष्टि से 'चूककर्ता अधिकारी' पद के अधीन भी शामिल किया गया है।

2. गायब हो रही कंपनियों की समस्या से निपटने के लिए निगमन के समय विस्तृत प्रकटीकरण सहित बढ़ी हुई प्रकटीकरण अपेक्षाएँ; अंशदाता/प्रथम निदेशक द्वारा किसी कंपनी के प्रवर्तन/गठन/प्रबंधन में कोई अभियोजन नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र (धारा 7)।

3. वार्षिक विवरणी और बोर्ड के प्रतिवेदन में अधिक प्रकटीकरण। वार्षिक विवरणी में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा या उनकी ओर से रखे गए शेयरों के संबंध में ब्यौरे प्रकट किए जाएंगे। बोर्ड की रिपोर्ट में संबंधित पक्ष संव्यवहार, जोखिम प्रबंधन नीति, सीएसआर नीति और बोर्ड के/निदेशक के निष्पादन के मूल्यांकन के तरीके के संबंध में विवरण प्रकट किए जाएंगे (धारा 92 और 134)।

4. सभी कंपनियों/उनके लेखापरीक्षकों पर लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन की अपेक्षाएं ख्धारा 129(1)/143(10),।

5. संबंधित पक्ष संव्यवहार करने के लिए औचित्स के साथ विस्तृत प्रकटीकरण अपेक्षित है (धारा 134/188)।

6. बड़ी कंपनियों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की अपेक्षा (धारा 138)।

7. लेखापरीक्षकों के लिए कड़ी और अधिक जवाबदेह भूमिका (उनके रोटेशन और लेखापरीक्षा कंपनियों की अधिकतम संख्या पर बाध्यता सहित) ख्धारा 139 और 14(3)(छ),।

8. लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जा रही कंपनी के लिए विनिर्दिष्ट गैर–लेखापरीक्षा सेवाएं निष्पादित नही किया जाना (धारा 144)।

9. अधिक जवाबदेयता के लिए लागत लेखापरीक्षा और अनुसचिवीय लेखापरीक्षा (धारा 148 और 204)।

10. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी भी करेगा और कतिपय मामलों में कदाचार के विरूद्ध कार्रवाई करेगा (धारा 132)।

11. प्रत्येक कंपनी मे कम से कम एक भारत में निवास करने वाला निदेशक होगा ख्धारा 149(2),।

12. सूचीबद्ध कंपनियों के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की अपेक्षा ख्धारा 149(3),।

13. किसी ऐसी कंपनी के निदेशक, जिसने ब्याज की अदायगी या जमा के पुनर्संदाय में चूक की हो, को निदेशकों के रूप में नियुक्ति हेतु अयोग्य किया जाएगा (धारा 164)।

14. किसी व्यक्ति द्वारा निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए कंपनियों की सीमा (धारा 165)।

15. विधि में निदेशकों के कर्त्तव्यों का प्रावधान (धारा 166)।

16. कंपनियों की कतिपय श्रेणियों के लिए लेखापरीक्षा समिति, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के गठन की अपेक्षा। लेखापरीक्षा समिति वित्तीय अनुशासन और लेखापरीक्षकों की जवाबदेही की निगरानी के लिए नोडल बोर्ड समिति होगी (धारा 177/178)।

17. कंपनियों के विहित वर्ग के लिए सतर्कता (विसल ब्लोइंग) प्रणाली; विसल ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान। ब्यौरे नियमों के अधीन रखे जाएंगे ख्धारा 177(9), ।

18. मध्य स्तर के कर्मचारी के पारिश्रमिक की तुलना में प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक के अनुपात से संबंधित प्रकटीकरण ख्धारा 197(12), ।

19. कतिपय मामलों में जब कपट/गैर–अनुपालन के कारण लेखा पुनः तैयार किया गया हो, प्रबंधकीय पारिश्रमिक वापस लौटाना ख्धारा 197(15), ।

2. संस्थान –

(क) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) –

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय–XXVII में धारा 407 से 434 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के गठन का प्रावधान है।

(ii) जैसा कि अधिनियम की धारा 434 में उपबंध है ये दो नई संस्थापनाएं वर्तमान कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी), औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना अपील प्राधिकरण (एएआईएफआर) का स्थान लेंगी ख्बीमा औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के निरसन के पश्चात्, और कंपनी अधिनियम, 1956 से संबंधित मामलों के लिए उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का उपयोग भी करेंगी।

(iii) मंत्रिमंडल ने एनसीएलटी के लिए अध्यक्ष सहित सदस्यों के 63 पदों और एनसीएलएटी के लिए अध्यक्ष सहित सदस्यों के 6 पदों के सृजन को अनुमोदित किया है। इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्रार के 2 पद और सचिव का 1 पद भी अनुमोदित किया गया है। व्यय विभाग ने इन निकायों के लिए समर्थन कर्मचारियों के 246 पदों का सृजन अनुमोदित किया है। सीएलबी के समर्थन कर्मचारियों के वर्तमान 37 पद और उनके पदधारक एनसीएलटी/एनसीएलएटी में स्थानांतरित होंगे।

(iv) इन निकायों के अध्यक्ष/सदस्यों की सेवा शर्त नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है किंतु अभी वे अधिसूचित किए जाने हैं।

(v) इन निकायों के अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। किंतु, उच्चतम न्यायालय में वाद संख्या डब्ल्यूपी(सी)1072/2013, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ अधिनियम के कतिपय प्रावधानों को चुनौती दी गई है, द्वारा कानूनी चुनौती लंबित रहने के कारण यह प्रक्रिया रोक दी गई है।

(ख) पुनर्वास और इन्सोलवेंसी निधि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 269 पुनर्वास और इन्सोलवेंसी निधि से संबंधित है। इसमें बीमार कंपनियों के पुनर्वास, पुनरूद्धार और परिसमापन के प्रयोजनार्थ पुनर्वास और इंसोलवेंसी निधि नामक एक निधि के गठन का प्रावधान है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनुदान उक्त निधि के साख घटकों में से एक घटक है। वर्ष 2014–15 के लिए विस्तृत अनुदान मांग संख्या 18 – कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राजस्व खंड (गैर–योजना) के तहत एक लाख रुपए की टोकन राशि के साथ एक नया विस्तृत शीर्ष 'पुनर्वास और इन्सोलवेंसी निधि' खोला गया है। किंतु, पुनर्वास और इन्सोलवेंसी निधि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XIX के अन्य उपबंधों के साथ धारा 269 के अधिसूचित होने के पश्चात् ही प्रभावी होगा। अध्याय XIX की अधिसूचना एनसीएलटी की स्थापना पर निर्भर है, जो भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

3. प्रशासनिक सुधार –

(i) एमसीए21 ई–शासन परियोजना –

यह परियोजना एक सुरक्षित पोर्टल ूण्उबंण्हवअण्पद के माध्यम से दस्तावेजों की फाइलिंग, कंपनियों का पंजीकरण

और कारपोरेट सूचना तक आम पहुंच उपलब्ध कराता है। इसका परिणाम आधुनिक सूचना प्रोद्योगिकी और कंप्यूटरों के उपयोग द्वारा आसान और पारदर्शी रीति से सेवाओं की प्रभावी अदायगी और कारपोरेट प्रक्रिया की निगरानी में हुआ है।

परियोजना के सफल प्रचालन के परिणामस्वरूप सांविधिक अनुपालनों और राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है। मंत्रालय इस कार्यकलाप से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वर्तमान में इस कार्यक्रम को अगले उच्चतर स्तर तक ले जाने पर कार्य कर रहा है। इस प्रक्रिया में कार्यान्वयन हेतु विचारित उपायों में एसएपी सीआरएम तथा वर्कफ्लो का कार्यान्वयन, हार्डवेयर का उन्नत तकनीक के साथ उन्नयन तथा बढ़े हुई निगरानी उपकरण शामिल हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ई–क्रांति में प्रस्तावित मार्गनिर्देशों का सतत् कार्यान्वयन कर रहा है। वेबासाईट के माध्यम से सूचना प्रसारण के अतिरिक्त कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार के खुला आंकड़ा प्लेटफार्म कंजं.हवअ.पद और वीपीडी(सार्वजनिक दस्तावेज देखें) सेवा के माध्यम से 16 संसाधन भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, एमसीए21 विभिन्न सरकारी (यथा पैन, टीएमआर, डीजीएफटी, ई–बिज, ई–ताल, पे.जीओवी आदि) के साथ–साथ गैर–सरकारी (यथा सीसीआईएल) विभागों के साथ भी आंकड़ों को साझा करने और आदान–प्रदान हेतु एकीकृत है।

(ii) कारपोरेट सामाजिक दायित्व –

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व उपबंध 1.4.2014 से लागू हुए हैं। वर्ष 2014–15 कंपनियों द्वारा सीएसआर के कार्यान्वयन का पहला वर्ष है। इस संबंध में अनुपालन के स्तर और गुणवत्ता संबंधी सूचना सितंबर, 2015 के पश्चात् ही उपलब्ध होगी जब कंपनियों द्वारा सीएसआर प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित सांविधिक प्रकटीकरण दायर किए जाएंगे।

क. कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचनाएं (01 अप्रैल, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक)

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	विषय
1	सा.का.नि.568(अ) तारीख 6.8.2014	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में संशोधन से संबंधित जिसके द्वारा 'स्लम क्षेत्र विकास' को नई मद के रूप में (xi) में शामिल किया गया।
2	सा.का.नि.644(अ) तारीख 12.9.2014	कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 4 के उपनियम (6) में संशोधन।
3	सा.का.नि.741(अ) तारीख 24.10.2014	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII में और संशोधन से संबंधित जिसके द्वारा अधिनियम की अनूसूची–VII के अधीन सूचीबद्ध मदों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित ''स्वच्छ भारत कोष'' और ''निर्मल गंगा'' निधि में अंशदान को शामिल किया गया।
4	सा.का.नि. 43(अ) तारीख 19.1.2015	कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 4 के उपनियम (2) में संशोधन।

ख. कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी उपबंधों के अधीन जारी सामान्य परिपत्र (01 अप्रैल, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक)

क्र. सं.	सामान्य परिपत्र संख्या	विषय
1	21/2014 तारीख 18.6.2014	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व के उपबंधों से संबधित स्पष्टीकरण जिसमें सीएसआर के अधीन कार्यकलापों के विस्तृत क्षेत्र में शामिल करने के लिए अनुसूची–टप्प् की उदार व्याख्या का सुझाव है।
2	36/2014 तारीख 17.9.2014	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व के उपबंधों से संबधित स्पष्टीकरण जिसमें सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014 तारीख 18.6.2014 की मद संख्या (iv) का लोप किया गया है।

(iii) आधारिक संरचना को मजबूत करना –

वर्ष 2015–16 के दौरान वर्तमान आधारिक संरचना को मजबूत करने और नई भौतिक आधारिक संरचना के सृजन के प्रयास जारी रखने का प्रस्ताव है। हैदराबाद में कारपोरेट भवन का निर्माण कार्य जारी है और यह भवन दिसंबर, 2014 तक तैयार हो जाएगा। मंत्रालय ने अहमदाबाद में कारपोरेट भवन के निर्माण के लिए अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एयूडीए) से भूमि खरीदी है। एयूडीए अहमदाबाद द्वारा आवंटित भूमि की लागत की दूसरी और अंतिम किश्त वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान भुगतान की गई है। तथापि, एयूडीए ने आबंटन पत्र जारी करने से पहले 5.41 करोड़ रुपए के ब्याज की मांग की है। तदनुसार मंत्रालय ने ब्याज की छूट देने पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव, गुजरात के साथ यह मामला उठाया है। अभी तक मंत्रालय कारपोरेट भवन नामक इसके अपने कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए अपेक्षित बजट पूंजी शीर्ष (गैर–योजना) के अधीन बजट अनुदान से पूरा कर रहा है।

4. अन्य प्रमुख कार्यक्रम –

(i) निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि –

मंत्रालय ने मंत्रालय की वेबसाइट ूण्उबंण्हवअण्पद पर एक उप साईट शुरू की है जहां कंपनियां उनके पास रखे निवेशकों की असंदत्त और अदावाकृत राशि के निवेशक–वार ब्यौरे दायर कर रही हैं। 31.3.2014 तक 3116 कंपनियों ने उनके ब्यौरे अपलोड किए हैं। इसका उद्देश्य निवेशकों, विशेषकर छोटे निवेशकों को ऐसी राशि से संबंधित सूचना खोजने और पता लगाने तथा सात वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले संबंधित कंपनियों से उसका दावा करने में समर्थ करना है। वर्तमान में, यह राशि सात वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित की जा रही है क्योंकि वर्तमान में निवेशकों को राशि वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ii) निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण का गठन –

कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 125 की उपधारा (5) के अधीन निधि के प्रशासन के लिए एक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है। एक बार गठित हो जाने पर यह प्राधिकरण अदावाकृत राशि के पुनर्संदाय; निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने; वापस प्राप्त की गई राशि का संवितरण; क्लास एक्शन सूट के तहत कानूनी व्यय के पुनर्भुगतान आदि के लिए जवाबदेह होगा।

5. महिला बजट प्रावधान

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सरकारी बजट प्रावधान में महिला मूलक विश्लेषण के सुगम एकीकरण के उद्देश्य से एक महिला बजट प्रकोष्ठ (जीबीसी) की स्थापना की है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के महिला बजट प्रकोष्ठ ने मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों, संबद्ध कार्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों सहित कारपोरेट कार्य मंत्रालय में महिला प्रतिनिधित्व पर सूचना/डाटावेस प्रणाली के निर्माण हेतु कई पहल किए हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय का महिला बजट प्रकोष्ठ का उद्देश्य यह समझते हुए कि कैसे कारपोरेट क्षेत्र केन्द्रीत नीतियां महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण के मुद्दे को प्रभावित करती हैं, बजटीय आवंटन में महिला संवेदनशीलता पर जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है।

6. कंपनी विधि बोर्ड

कंपनी विधि बोर्ड बहुत पारदर्शी तरीके से याचिकाओं/आवेदनों का निपटान करता है। जमाकर्ताओं द्वारा कठिनाईयों के आधार पर जमा के पुनर्संदाय के लिए दायर आवेदनों पर विचार के लिए है। सीएलबी में कठिनाई समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

कंपनी विधि बोर्ड की अपनी वेबसाइट ूण्बसइण्हवअण्पद है जहां इसके संगठन, कार्यों, पीठों के क्षेत्राधिकार, दैनिक/मासिक वादसूची, बोर्ड द्वारा पारित आदेश, मामलों की स्थिति, कंपनी विधि विनियम, 1991 और अन्य सांख्यिकी सूचनाएं आदि के ब्यौरे रखे जाते हैं। वेतन, आयकर गणना आदि एमसीए21 के माध्यम से कंप्यूटरों में

की जाती है। बोर्ड द्वारा कंपनी रजिस्ट्रारों के कार्यालयों से सभी प्रतिवेदन इलेक्ट्रोनिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं। सभी दैनिक कार्य कंप्यूटरों पर किए जाते हैं। हितधारकों की सुविधा हेतु कंपनी विधि बोर्ड की वेबसाइट नियमित अद्यतन की जाती है।

किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी विधि बोर्ड से व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष पर संपर्क करने पर सभी आवश्यक मार्गनिर्देश और सूचना दी जाती है। बोर्ड का सुविधा केन्द्र, भूतल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 पर प्रचालनरत् है। अधिवक्ताओं और व्यावसायिकों के प्रयोगार्थ एक सुसज्जित पुस्तकालय उपलब्ध है। किसी याचिका या आवेदन पर पारित प्रत्येक अंतरिम आदेश और अंतिम आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ता और प्रतिवादी को तथा अन्य पक्षों को मुफ्त उपलब्ध करायी जाती है। कंपनी विधि बोर्ड (विनियम), 1991 के विनियम 30 के अनुसार किसी लंबित मामले का अभिलेख, अधिकार के रूप में, जांच के लिए उपलब्ध रहेगा और पक्षों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को इन अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां लिखित में आवेदन करने और किसी मामले की दस्तावेज के लिए प्रतिदिन पचास रुपए की दर से शुल्क की अदायगी करने और किसी आदेश या किसी अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति के लिए दस रूपए प्रति पृष्ठ के भुगतान करने पर दी जाती हैं।

कंपनी विधि बोर्ड में ''लोक अदालतों'' का आयोजन

कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 621क के अधीन लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कंपनी विधि बोर्ड, मुम्बई पीठ, मुम्बई में दिनांक 20.9.2014, 16.10.2014, 17.10.2014 और 13.12.2014 को चार 'लोक अदालतों' का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति श्री डी.आर. देशमुख, अध्यक्ष, कंपनी विधि बोर्ड और श्री ए. के. त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक), मुम्बई पीठ के संयुक्त प्रयासों से कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबंधों के अधीन उल्लंघनों के संबंध में अपराधों के उन्मोचन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 621क के अधीन 217 मामलों का निपटान किया गया। इन मामलों का निर्णयन कंपनियों द्वारा पीठ के प्रस्ताव के अनुसार उन्मोचन शुल्क जमा करने की सहमति के आधार पर किया गया। पीठ के समक्ष उपस्थित होने वाले कंपनियों के प्रतिनिधियों के सहमति पर ''लोक अदालत'' में पीठ द्वारा पारित सहमति आदेश के अनुपालन में कंपनियों द्वारा जमा किए जाने के लिए 2,53,02,000 रुपए का उन्मोचन शुल्क लगाया गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएं 397 और 398 के अधीन एक मामले में पीठ द्वारा पक्षों के मध्य विवाद को समाप्त करने और एक समाधान पर पहुंचने तथा आगे का रास्ता तैयार करने में सहायता की गई।

कंपनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली पीठ में भी दिनांक 20.9.2014 को एक ''लोक अदालत'' का सफल आयोजन किया गया जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 621क के अधीन 19 मामलों का निपटान हुआ और ''लोक अदालत'' में पीठ द्वारा पारित सहमति आदेश के अनुपालन में कंपनियों द्वारा जमा किए जाने के लिए 4.20 लाख रुपए का उन्मोचन शुल्क लगाया गया।

उपर्युक्त तिथियों को आयोजित लोक अदालतों में बार काउंसिल के सदस्य, कंपनी सचिव और चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने भाग लिया।

अध्याय-IV

पिछले निष्पादन की पुनरीक्षा

1. संस्थान–

(क) प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण –

प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के संशोधित उपबंधों की धारा 53क के अधीन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा पारित आदेशों के विविध अपीलों की सुनवाई और निपटान करने तथा सीसीआई के निष्कर्षों से उत्पन्न क्षतिपूर्ति दावों का न्यायनिर्णयन करने के लिए की गई है। दिनांक 1.4.2014 से 19.12.2014 की अवधि के दौरान प्राप्त कुल अपील और उनका निपटान निम्नानुसार है :–

संगठन और धारा	अधिशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम संख्या 2 और 3)	निपटाए गए	लंबित (कॉलम संख्या 4–5)
1	2	3	4	5	6
एमआरटीपी आयोग					
आर.टी.पी.ई.	21	04	25	10	15
यू.टी.पी.ई.	49	07	56	17	39
एम.टी.पी.ई.	01	00	01	01	00
सी.ए.	03	01	04	01	03
योग	74	12	86	29	57

एकाधिकार और अवरोधक व्यापार अधिनियम 1.9.2009 को निरसित हो गया और 14.10.2009 को एमआरटीपी आयोग का विघटन कर दिया गया। विघटित एमआरटीपी आयोग के समक्ष लंबित मामले निपटान हेतु इस अधिकरण को अंतरित किए गए थे। अंतरित किए गए मामलों और दिनांक 1.4.2014 से 19.12.2014 की अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण द्वारा निपटाए गए मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

संगठन और धारा	अधिशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम संख्या 2 और 3)	निपटाए गए	लंबित (कॉलम संख्या 4–5)
1	2	3	4	5	6
प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण					
अपील	66	70	136	39	97

इस अधिकरण को विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के निर्णय के विरूद्ध दायर की जाने वाली अपीलों की सुनवाई और निपटान के लिए विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील अधिकरण (एईआर-एएटी) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

1.4.2014 से 19.12.2014 की अवधि के दौरान इस अधिकरण को पाँच अपील प्राप्त हुई जिनमें से एईआर-एएटी द्वारा निम्नानुसार एक मामले का निपटान किया गया है –

संगठन और धारा	अधिशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम संख्या 2 और 3)	निपटाए गए	लंबित (कॉलम संख्या 4–5)
1	2	3	4	5	6
विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील अधिकरण					
अपील	13	05	18	01	17

(ख) भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)

भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) द्वारा वित्त वर्ष 2014–15 में किए गए कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :–

- स्विडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया (एससीसीआई) ने ज्ञान भागीदार, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के साथ मिलकर 23 अप्रैल, 2014 को एससीसीआई कार्यालय, बिजनेस स्विडन, चाणक्यपुरी, दिल्ली में सूचना और प्रश्नोत्तर सत्र :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन सीएसआर नियम का आयोजन किया। इस सहक्रियाशील सत्र का उद्देश्य विधेयक पर विचार–विमर्श करना और नए नियमों के प्रारंभ से उत्पन्न विभिन्न प्रश्नों पर सूचना और उत्तर देना था जिससे कारपोरेट निकायों पर अतिरिक्त उत्तरदायित्व पड़ा है।

- आईसीएलएस परीवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रवेशन प्रशिक्षण 16 दिसंबर, 2013 को प्रारंभ हुआ और अप्रैल, 2014 तक चला। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि दस माह थी जिसमें विभिन्न संस्थानों अर्थात् राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम), राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) और कारपोरेट दौरों इत्यादि के साथ अटैचमेंट सहित कक्षा शिक्षण शामिल था।

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आईसीएलएस अधिकारियो (वरिष्ठ समयमान स्तर (एसटीएस)) के लिए 5 दिवसीय मध्य–कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 31.3.2014 से 4.4.2014 के मध्य किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 11 आईसीएलएस अधिकारियों (एसटीएस स्तर) ने भाग लिया।

- दिनांक 19 मई, 2014 से 13 जून, 2014 के दौरान शासकीय समापकों के 30 अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया गया, जिसमें दिल्ली के 3, मुम्बई के 11, गोवा के 1, कटक के 2, हैदराबाद के 6, बंगलौर के 7 अधिकारी शामिल थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए विषयों में कंपनियों को बंद करना, परिसमापक की शक्तियां, कंपनी का विघटन, स्वैच्छिक परिसमापन, लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत, कार्यों का विवरण, लेखाबहियों और अभिलेखों की जांच, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम आदि थे।

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आईसीएलएस अधिकारियो (कनिष्ठ प्रशासन ग्रेड (जेएजी)) के लिए 5 दिवसीय मध्य–कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 7.7.2014 से 11.7.2014 के मध्य किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 4 आईसीएलएस अधिकारियों (जेएजी स्तर) ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल विषय अधिग्रहण कोड 2011, इंसाइडर ट्रेडिंग, तुलन पत्रों का विश्लेषण, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस), लेखांकन मानक (एएस), फॉरेंसिक लेखा/लेखापरीक्षा और अंकीय फॉरेंसिक आदि से संबंधित थे। कारपोरेट शासन और लोक नीति विद्यालय ने 2.5.2014 को आईआईसीए मानेसर में ''कंपनी अधिनियम, 2013 में कारपोरेट शासन प्रावधान'' विषय पर एक गोलमेज कान्फ्रेस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 के कारपोरेट शासन प्रावधानों के कार्यान्वयन में व्यवहारिक अनुभवों पर चर्चा और विमर्श था।

- वित्त विद्यालय ने 5–10 मई, 2014 के दौरान कैनरा बैंक के कार्यकारियों के लिए जोखिम विश्लेषण, साख आकलन और ऋण निर्णय विषय पर एक कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम में जीवन्त मामला अध्ययनों की मदद से कार्यशील पूंजी और परियोजना वित्तीयन प्रस्ताव मूल्य निरूपण में आने वाले प्रत्येक जोखिम का विश्लेषण किया गया। मौसमी उद्योगों और उच्च विकास कंपनियों में जोखिमों पर भी चर्चा की गई।

- भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने विश्व बैंक समूह के इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन (आईएफसी) के साथ मिलकर कारपोरेट शासन दृ बोर्ड लीडरशिप पर एक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी) का आयोजन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो सत्रों में आयोजित किया गया अर्थात्, प्रथम बैच 26–28 मई, 2014 और दूसरा बैच 29–31 मई, 2014 । इस टीओटी का उद्देश्य प्रशिक्षकों का एक पूल विकसित करना था जो एकल

व्यवसाय उद्यमों के बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ कार्यकारियों क्ष्मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) और मुख्य प्रचालन अधिकारियों (सीओओ)द्व के लिए और बोर्ड लीडरशिप कार्यशालाओं में कारपोरेट शासन प्रशिक्षण और सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराएं।

- वित्त विद्यालय ने 19 मई से 31 मई, 2014 के दौरान यूको बैंक के 80 युवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए सामान्य बैंकिंग और सॉफ्ट स्किल्स पर एक कार्यक्रम का संचालन किया। इसका उद्देश्य इन युवा अधिकारियों को सफल बैंकर और इस उद्योग में भावी अग्रणी के रूप में प्रशिक्षित करना था।

- भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने 6–7 जून, 2014 को मानेसर, गुड़गांव में भारतीय कारपोरेटों के लिए एक दो दिवसीय आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम में इस्पात, ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, सीमेंट, एफएमसीजी, बैंकिंग और स्वैच्छिक संस्थानों तथा परामर्श संगठनों जैसे क्षेत्रों के भागीदारों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सुस्थायी विकास पर विशेष जोर देने के साथ सीएसआर परियोजनाओं के डिजायन पर विचार विमर्श के अतिरिक्त 12 क्षेत्रों में डिजायन रणनीति, अच्छे व्यवहार और नवाचारी तकनीक समाधान पर फोकस करते हुए जोखिम, चुनौतियों और सुस्थायित्व अवसरों पर जोर दिया गया। इस परियोजना के कार्यान्वयन में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में (पवन–सौर हायब्रिड समाधान), सुरक्षित पेयजल, बायोगैस उपयोग, बायो डायवरसिटी के क्षेत्र में गहन अध्ययन पर व्यवहारिक मामला अध्ययनों के साथ ध्यान दिया गया।

- प्रतिस्पर्धा कानून और बाजार विनियमन विद्यालय, आईआईसीए ने सीसीआई के साथ मिलकर ''एंटीट्रस्ट प्रोग्राम फॉर यंग फेलोज, 2014'' का आयोजन किया जिसके दो घटक थे दृ ''एंटीट्रस्ट राइटिंग कॉन्टेस्ट'' और ''एंटीट्रस्ट समर स्कूल'' । समर स्कूल, पांच दिवसीय कार्यशाला मोड, की परिकल्पना वार्षिक कार्यक्रम के रूप में की गई है। यह कंपनी विधि के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं और पेशेवरों पर लक्षित है।

- व्यवसाय नवाचार केन्द्र, आईआईसीए ने नई दिल्ली में 25 जुलाई, 2014 को समकालिक व्यवसाय मॉडलों पर चर्चा के लिए नवाचारियों के साथ दिल्ली व्यवसाय नवाचार ऑनलाइन समुदाय का प्रथम मिलन समारोह आयोजित किया।

- वित्त विद्यालय ने 14–26 जुलाई, 2014 के दौरान सिंडिकेट बैंक के युवा अधिकारियों के लिए कारपोरेट साख प्रबंधन पर एक कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम की संरचना इस रीति से तैयार की गई थी कि यह मूल भूत सिद्धांतों से शुरू होकर धीरे–धीरे उच्च स्तर तक ले जाए।

- कारपोरेट शासन और लोक नीति विद्यालय ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्यों के लिए नई दिल्ली में 8.8.2014 को 'स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों के लिए पुनर्अभिमुखीकरण' कार्यालय का संचालन किया। यह कार्यक्रम मंत्रालय के सौ दिवसीय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कारपोरेट शासन और लोक नीति विद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला में पहला कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्र निदेशकों के रूप में निदेशक मंडल में शामिल होने की इच्छा रखने वाले वरिष्ठ प्रबंधकों और व्यावसायिकों का क्षमतानिर्माण था। तीन व्यावसायिक निकायों के सदस्य, जो विभिन्न कंपनियों के निदेशक मंडल में है या निदेशक मंडलों को सलाह दे रहे हैं, ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

- कारपोरेट शासन और लोक नीति विद्यालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ मिलकर मुम्बई में 8.8.2014 (शुक्रवार) को कंपनी अधिनियम, 2013 और खंड 49 के कारपोरेट शासन प्रभाव पर निवेशकों का दृष्टिकोण विषय पर एक सेमीनार का आयोजन किया। यह कार्यक्रम मंत्रालय

के सौ दिवसीय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कारपोरेट शासन और लोक नीति विद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला में दूसरा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन नियमों/विनियमों के तहत निवेशक सुरक्षा प्रणाली और संभावित चुनौतियों तथा भारतीय और वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों/मानकों को साझा करने के बारे में अधिक जागरूकता/पक्ष समर्थन का सृजन करना था।

- कारपोरेट शासन और लोक नीति विद्यालय ने पीएचडी चैम्बर्स के साथ मिलकर नई दिल्ली में 12 और 13 अगस्त, 2014 को स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों को लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम मंत्रालय के सौ दिवसीय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कारपोरेट शासन और लोक नीति विद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला में तीसरा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षमता निर्माण था, जो वर्तमान और संभावित निदेशकों/स्वतंत्र निदेशकों के मध्य निदेशक मंडल के कार्यनिष्पादन में प्रभावी अंशदान के लिए वांछनीय है।

- आईआईसीए ने सीएसआर, सुस्थायित्व और सुस्थायी विकास से संबंधित मामलों के समाधान हेतु एक सहक्रियाशील मंच बनाने के उद्देश्य से सुस्थायित्व रणनीति बनाने और कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाएं विकसित करने पर एक दिवसीय बहुआयामी हितधारक सम्मेलन का आयोजन किया। यह कार्यशाला तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित थी जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सीएसआर नियम, व्यवहारिक सुस्थायित्व दृ रणनीतियां, फ्रेमवर्क और तकनीक, राष्ट्रीय और वैश्विक परिदृश्य, सीएसआर/सुस्थायित्व का संगठनों पर प्रभाव, कंपनी अधिनियम/सीएसआर नियमों के अधीन निगरानी, मूल्यांकन, रिपोर्टिंग जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया। इस सम्मेलन ने भागीदारों को मुख्य सुस्थायित्व क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक सीएसआर परियोजनाओं के विकास पर समझ बढ़ाने में मदद की। इनमें सुस्थायित्व जोखिमों, चुनौतियों, अवसरों की पहचान शामिल थीं ताकि कारपोरेट निकायों द्वारा सुस्थायित्व रणनीतियों का निर्माण सुगम हो।

- आईसीएलएस अकादमी ने भारत में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) और प्रादेशिक निदेशकों (आरडी) के कार्यालयों में कार्य कर रहे कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आईसीएलएस अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013, नियम और ई–प्ररूप पर एक दो दिवसीय कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। 5 आईसीएलएस परीवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रवेशन प्रशिक्षण (तीसरा चरण) सितंबर, 2014 में जारी रहा। सितंबर में कक्षा प्रशिक्षण में ई–मतदान, निजी नियोजन, आईएफआरएस, साइबर कानून, ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999, पेटेंट अधिनियम, 1970, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर आदि जैसे विषय शामिल थे। परिवीक्षाधीन अधिकारियों को एक सप्ताह के लिए आईएसटीएम भेजा गया। परिवीक्षाधीन अधिकारी 26 सितंबर, 2014 से 16 अक्तूबर, 2014 तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में उनके अध्ययन दौरे के लिए गए।

- प्रतिस्पर्धा कानून और बाजार विनियमन विद्यालय, आईआईसीए ने यूनाईटेड स्टेट फेडरल ट्रेड कमीशन के साथ मिलकर स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में 25.9.2014 को स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में प्रतिस्पर्धा जांच तथा विलय पुनरीक्षा पर एक गोलमेज का आयोजन किया। इस गोलमेज में विभिन्न विधि फर्मों के 25 भागीदारों, राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरणों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस गोलमेज को हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए तैयार किया गया था तथा यह उन्हें सहक्रियाशील वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास था जहां उन्हें विनियामक प्राधिकारियों, विशेषज्ञों और पेशेवर अधिवक्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा विषय पर विचार–विमर्श पर अवसर प्राप्त हुआ।

- उत्तरदायी कारपोरेट शासन केन्द्र और एनएफसीएसआर (एलएंडडी), आईआईसीए ने लेंडेसा रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के साथ भागीदारी में कारपोरेट, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा सरकारी एवं अकादमिक क्षेत्र के लिए ''महिला आर्थिक सशक्तिकरण तथा लिंग समानता को बढ़ावा'' विषय पर एक दिवसीय गोलमेज का संचालन किया।

- दिनांक 27 अक्तूबर, 2014 से 25 नबंवर, 2014 के दौरान शासकीय समापकों के 23 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया गया, जिसमें दिल्ली के 7, मुम्बई के 2, कटक के 4, हैदराबाद के 4 और बंगलुरू के 7 अधिकारी शामिल थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए विषयों में कंपनियों को बंद करना, शासकीय समापक की शक्तियां, कंपनी का विघटन, स्वैच्छिक परिसमापन, लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत, कार्यों का विवरण, लेखाबहियों और अभिलेखों की जांच, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, भारतीय लेखांकन मानकों का सिंहावलोकन आदि थे।

- प्रतिस्पर्धा कानून और बाजार विनियमन विद्यालय ने स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में 10 अक्तूबर, 2014 को प्रतिस्पर्धा कानून में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। इस प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को अपना प्रतिस्पर्धा कानून ज्ञान सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना और भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा कानून विशेषज्ञों से सीखने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना था। इस विद्यालय में 42 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। इस उद्घाटन के पश्चात् दो दिवसीय कक्षा सत्र संचालित किया गया जिसमें उदाहरण के जरिए मामला अध्ययनों का उपयोग करते हुए कानून और अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों को शामिल किया गया।

- ''सीएसआर कॉनक्लेव दृ 2014, सुस्थायी विकास के उपकरण के रूप में सीएसआर का उपयोग'' का आयोजन भारतीय वाणिज्य मंडल और आईआईसीए द्वारा उत्तर–पूर्व विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) भवन, गुवाहाटी, असम में 13.10.2014 को किया गया। श्रीमती निर्मला सीतारमण, तत्कालीन माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार ने इस कॉनक्लेव में मुख्य संबोधन दिया। आईआईसीए ने रिसॉर्स एलायंस इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के साथ नबंवर, 2014 के महीने में चार शहरों (नई दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर और मुम्बई) में ''कारपोरेट सामाजिक दायित्व'' पर दो दिवसीय गैर–आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया। लगभग 150 स्वैच्छिक संस्थाओं ने इसमें भाग लिया और उन्हें वर्तमान विधायन तथा परियोजना प्रबंधन कौशल पर प्रशिक्षण दिया गया।

- आईआईसीए ने आईसीए के साथ मिलकर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया। सूक्ष्म एवं लघु मध्य उद्यम केन्द्र (एमएसएमई) द्वारा 19.11.2014 को नई दिल्ली में ''नेशनल एमएसएमई कॉन्क्लेव, 2014'' की मेजबानी की इस पहल ने एमएसएमई क्षेत्र के बेहतरीन लोगों को एक साथ लाया ताकि वे एमएसएमई के सामने उपस्थित चुनौती और कठिनाईयों को समझ सकें और उसका निदान ढूंढ सकें तथा स्थायित्व और विकास के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर सकें। इस कार्यक्रम में 240 भागीदारों/अधिकारियों/उद्योग सद्स्यों/सूक्ष्म एव लघु उद्यमों तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), राष्ट्रीय उद्यमशीलता लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम लिमिटेड (एनएसडीसी), जीआईजेड/जेडडीएच एसईक्यूए, आईटीपीओ, अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद् (ईईपीसी) और ऊर्जा कौशल सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) के भागीदारों ने भाग लिया। माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।

- प्रतिस्पर्धा कानून और बाजार विनियमन विद्यालय,

आईआईसीए ने यूनाइटेड स्टेट फेडरल ट्रेड कमीशन के साथ मिलकर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन डिजायनिंग एंटीट्रस्ट एंड मर्जर रेमिडिज का आयोजन किया। इस कार्यशाला में विभिन्न कानून फर्मों के भागीदारों, राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकारों के प्राधिकारियों तथा कंपनियों के कानूनी सलाहकारों के साथ–साथ कारपोरेट कानून में 3 महीने के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के छात्रों सहित 27 भागीदारों ने भाग लिया।

- प्रतिस्पर्धा कानून और बाजार विनियमन विद्यालय प्रतिस्पर्धा कानून के अग्रिम विषयों पर चार (4) मॉड्यूल का विकास और उसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है अर्थात्, (क) प्रभावपूर्ण स्थिति का दुरुपयोग, (ख) प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते, (ग) विलय और अधिग्रहण और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र और प्रतिस्पर्धा कानून।
- यह विद्यालय विशिष्ट उद्योगों और प्रतिस्पर्धा कानून तथा बाजार विनियमन में समकालीन चिंताओं के क्षेत्र पर एक अनुसंधान पत्र प्रकाशित करेगा।

वित्त वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान आईआईसीए के योजना स्कीम के अधीन बजट आबंटन और व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं –

पूंजी शीर्ष

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2012.13	20.00	20.00	16.43
2013.14	10.62	2.77	2.15
2014.15	1.24	1.24	0.85*

*** दिसम्बर, 2014 तक**

राजस्व शीर्ष

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2012.13	8.00	8.00	8.00
2013.14	23.38	18.23	18.23
2014.15	22.76	21.76	15.54*

*** दिसंबर, 2014 तक**

योजना के अधीन पूंजी परिव्यय पर राजस्व व्यय (आईआईसीए)

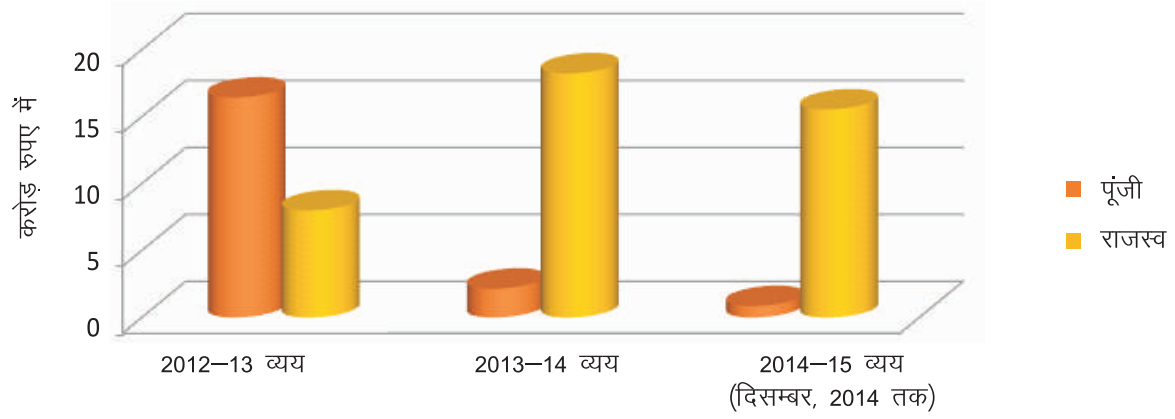

2. प्रशासनिक पहलें –

(i) एमसीए21 ई–शासन परियोजना का कार्यान्वयन –

एमसीए21 पोर्टल अपने प्रारंभ से ही कारपोरेट क्षेत्र में हितधारकों की अपेक्षाओं को कुशलता से पूरा कर रहा है। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान एमसीए21 कार्यक्रम को व्यापक रूप से अपनाया और स्वीकार किया गया और इसमें पोर्टल पर 8 लाख पंजीकृत प्रयोक्ता हैं, 3.11 करोड़ ई–फाइलिंग हुए, एमसीए में 14.5 लाख पंजीकृत कंपनियां हैं और 6.68 लाख ऑनलाइन पंजीकरण हुए।

एमसीए21 प्रणाली का उपयोग अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) के साथ पंजीकृत 10.56 लाख से अधिक प्रयोक्ताओं द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 76722 प्राधिकृत बैंकरों और व्यवसायिकों (डीएससी के साथ पंजीकृत) द्वारा भी आरओसी के साथ दैनिक प्रचालनों में संपर्क हेतु इसका उपयोग किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप 52.87 लाख अभिलेख ऑनलाइन देखे गए और तुलन पत्र तथा वार्षिक विवरणियां दायर की गईं।

एमसीए21 प्रचालन दर्शाने वाली प्रमुख सांख्यिकी (2006 से दिसंबर, 2014 के अंत तक).

क्र. सं.	विवरण	31मार्च 2013 (लाख रु. में)	31 मार्च 2014 (लाख रु. में)	31 मार्च 2014 (लाख रु. में)
1	समग्र फाइलिंग	208.43	260	311
2	ऑनलाइन पंजीकृत कंपनियों की संख्या	5.26	6.25	6.68
3	जारी डीआईएन	24.44	32	40.72
4	ऑनलाइन देखे गए कंपनी अभिलेख	23.07	44.4	59.07
5	दायर तुलन पत्रों की संख्या	32.69	39.35	46.24
6	दायर वार्षिक विवरणियों की संख्या	33.04	39.5	46.53

पिछले तीन वर्षों में फाइलिंग और अन्य मानकों के आधार पर एमसीए21 परियोजना के उपयोग में लगातार सुधार नीचे दो ग्राफों की सहायता से दर्शाया गया है –

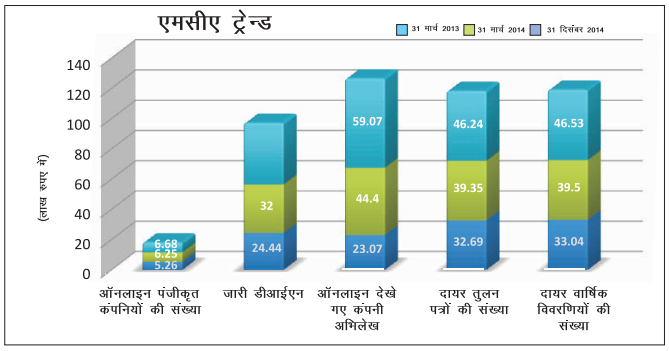

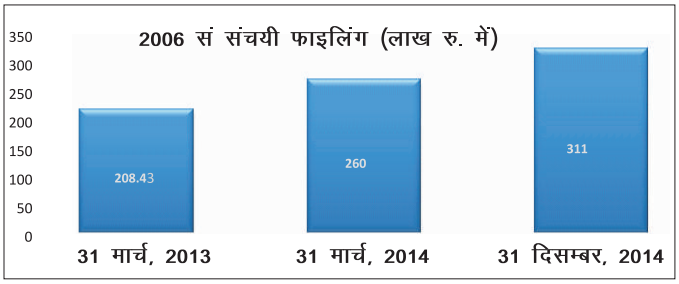

(ii) भौतिक आधारित संरचना को मजबूत करना –

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान परियोजना की प्रगति –

- हैदराबाद में कारपोरेट भवन के निर्माण की प्रगति की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि इसका जल्दी पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।
- 5. एसप्लानेड रो (पश्चिम), कोलकाता में कंपनी विधि बोर्ड के लिए नए कार्यालय स्थान का पुनरूद्धार पूरा कर लिया गया है।
- 9 शासकीय समापक कार्यालयों में विडियों कांफ्रेंसिंग सुविधाओं के संस्थापन के प्रयास जारी हैं।
- संपदा निदेशालय द्वारा ब्लॉक संख्या 3, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली में आबंटित सामान्य पूल आवास का पुनरूद्धार एनबीसीसी लि. के माध्यम से किया जाना है।
- कंपनी रजिस्ट्रार, कानपुर के कार्यालय का पुनरूद्धार वर्तमान वित्त वर्ष में किए जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2014–15 के दौरान किए गए कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –

- चंडीगढ़ में खरीदी गई संपत्ति के लिए भूमि किराया

का भुगतान।

- हैदाराबाद में कारपोरेट भवन का निर्माण।
- 9 शासकीय समापक कार्यालयों में विडियों कांफ्रेंसिंग सुविधाओं के संस्थापन।
- पणजी शहर, गोवा के निगम को सेवा कर का भुगतान।
- इस मंत्रालय को भूमि आवंटन हेतु अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण को अंतिम किश्त का भुगतान।
- संपदा निदेशालय द्वारा ब्लॉक संख्या 3, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली में आबंटित सामान्य पूल आवास का पुनरूद्धार एनबीसीसी लि. के माध्यम से किया जाना है।
- कंपनी रजिस्ट्रार, कानपुर के कार्यालय का पुनरूद्धार वर्तमान वित्त वर्ष में किए जाने का प्रस्ताव है।

(iii) निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष निधि (आईईपीएफ)

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान प्रादेशिक निदेशकों द्वारा तीन व्यावसायिक संस्थानों– भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी) का आयोजन किया गया। मंत्रालय द्वारा दिसंबर, 2014 तक लगभग 1400 आईएपी का आयोजन किया गया है। आईएपी के आयोजन के अतिरिक्त जागरूकता लाने और निवेशकों को सतर्क करने के लिए बहुभाषी प्रिंट मीडिया विज्ञापन भी जारी किए गए।

(iv) राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान (एनएफसीजी)

एनएफसीजी के तत्वाधान में संचालित कार्यकलापों में कारपोरेट शासन से संबंधित विषयों पर सेमिनार और सम्मेलन, भारतीय कंपनियों आदि में कारपोरेट शासन व्यवहारों पर अनुसंधान कार्यकलाप शामिल हैं। एनएफसीजी राष्ट्रीय स्तर पर कारोपरेट शासन संबंधी विभिन्न पहलों में समन्वय के लिए मंच के रूप में कार्य करता है और दुनियाभर के समान संगठनों के संपर्क में रहता है।

वर्ष 2014–15 (दिसंबर, 2014 तक) के दौरान एनएफसीजी द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम/कार्यशालाएं/सेमीनार आयोजित किए गए –

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	संख्या
1.	सेमीनार/सम्मेलन/कार्यशाला	14
2.	अनुसंधान और प्रकाशन कार्य	08

दिसंबर, 2014 तक कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) का निष्पादन और लक्ष्य –

- अर्धन्यायिक निकाय होने के नाते कंपनी विधि बोर्ड कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबंधों के अधीन दी गई शक्तियों और व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करता है। दायर आवेदनों/याचिकाओं की अधिकतम संख्या के शीघ्र निपटान के प्रयास किए जा रहे हैं। निवेशकों से प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता आधार पर निपटान किया जाता है। 1.4.2014 की स्थिति के अनुसार 5821 आवेदनों/याचिकाएं अग्रेणित की गई। 1.4. 2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान कंपनी विधि बोर्ड को प्राप्त 6056 आवेदनों के विरूद्ध 7770 आवेदनों/ याचिकाओं का निपटान किया गया।
- सीएलबी और कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कंपनी रजिस्ट्रारों के कार्यालयों, प्रादेशिक निदेशक कार्यालयों के मध्य पत्राचार को ई–मेल द्वारा इलेक्ट्रोनिक रूप में किया जा रहा है।
- बोर्ड द्वारा पारित आदेशों को पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु समय पर भेजा जाता है और सीएलबी की वेबसाइट पर भी रखा जाता है।

➢ वादसूची, मामलों की स्थिति, कंपनी विधि बोर्ड द्वारा पारित आदेश और अन्य सांख्यिकीय सूचनाएं आदि सीएलबी की वेबसाइट www.clb.gov.in पर रखी जाती है।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के पिछले निष्पादन की पुनरीक्षा

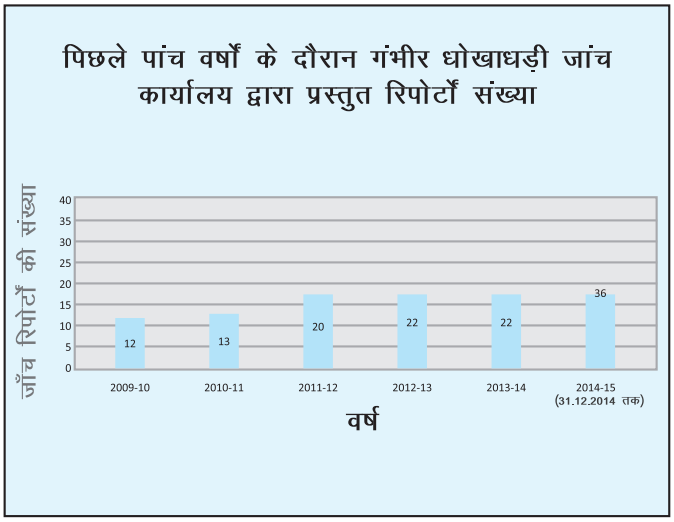

वर्ष 2003 से गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को भेजे गए और निपटाए गए मामले

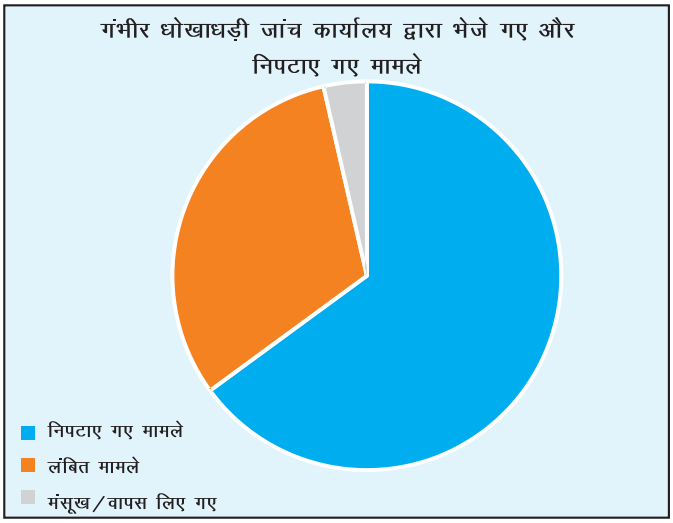

अध्याय–V

वित्तीय पुनरीक्षा

5.1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय की योजना और गैर–योजना का पूंजीगत परिव्यय

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	व्यय 2012-13	व्यय 2013-14	बजट 2014-15	संशोधित 2014-15	व्यय 2014-15*	बजट अनुमान 2015-16
योजना स्कीम आईआईसीए	16.43	2.15	1.24	1.24	0.85	0.10
योजना स्कीम डाटा खनन प्रणाली	0	0	0	0	0	1.00
गैर–योजना स्कीम अवसंरचना	8.03	16.93	22.50	19.00	12.01	28.00

*** दिसम्बर, 2014 तक**

तालिका 5.1

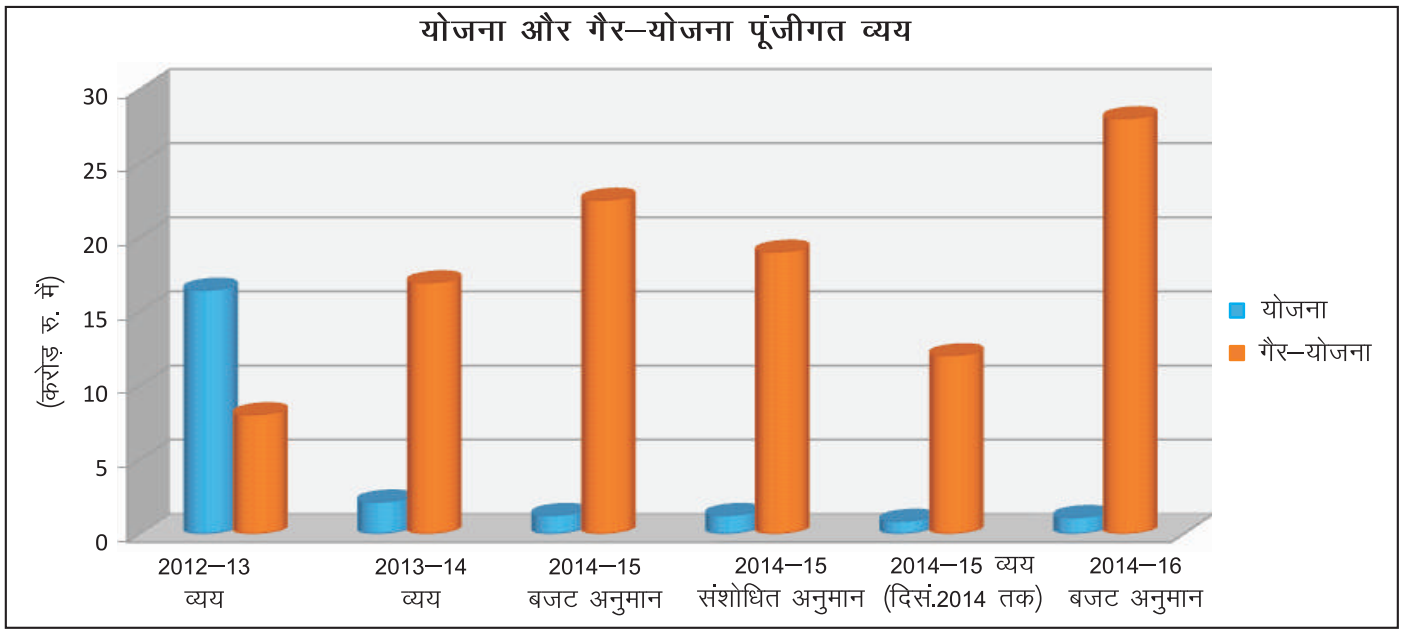

कारपोरेट कार्य मंत्रालय एक चालू योजना स्कीम अर्थात् भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान का परिचालन करता हैए जिसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :–

क) संस्थान वर्तमान कारपोरेट कानून, नियम और विनियमों के पुनरीक्षण/ संशोधन में मंत्रालय की सहायता करता है।

ख) यह भारतीय कंपनी विधि सेवा (आईसीएलएस) और मंत्रालय व अन्य संगठनों के लिए कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है।

ग) आईआईसीए विभिन्न क्षेत्रों जैसे एमसीए–21, कारपोरेट शासन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण आदि में सेवा अदायगी को निरंतर बेहतर बनाने में सहायता करता है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एक नई योजना अर्थात् डाटा खनन प्रणाली(डीएमएन) भी प्रारंभ की है:–

(क) एमसीए–21 डाटा का डाटा शोधन और विश्लेषण करने के लिए;

(ख) एमसीए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और क्षमता निर्माण करने के लिएय

(ग) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय निम्नलिखित के लिए एक गैर योजना स्कीम चलाती हैः–

क) कार्यालय परिसरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और जहां आवश्यक / संभव हो, वहां कार्यालय बिल्डिंग खरीदने के लिए;

ख) मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में बढ़े हुए निष्पादन स्तर के साथ आधुनिक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए।

गैर–योजना स्कीम

5.2 सचिवालय

तालिका 5.2

(करोड़ रुपये में)

व्यय 2012–13	व्यय 2013–14	बजट अनुमान 2014.15	संशोधित अनुमान 2014.15	व्यय 2014.15*	बजट अनुमान 2015.16
96.10	112.82	119.20	120.62	85.67	129.21

*दिसंबर, 2014 तक

तालिका 5.3

5.3 क्षेत्रीय कार्यालय

(करोड़ रुपये में)

व्यय 2012-13	व्यय 2013-14	बजट अनुमान 2014-15	संशोधित अनुमान 2014-15	व्यय 2014-15*	बजट अनुमान 2015-16
59.42	61.40	64.95	69.41	51.46	67.41

*दिसंबर, 2014 तक

तालिका 5.4

5.4 संबद्ध कार्यालय

(करोड़ रुपये में)

व्यय 2012-13	व्यय 2013-14	बजट अनुमान 2014-15	संशोधित अनुमान 2014-15	व्यय 2014-15*	बजट अनुमान 2015-16
17.98	17.68	24.60	19.89	14.05	23.26

*दिसम्बर, 2014 तक

तालिका 5.4

5.5 योजना स्कीम– राजस्व

(करोड़ रुपए में)

	व्यय 2012-13	व्यय 2013-14	बजट अनु. 2014-15	संशो.अनु. 2014-15	व्यय 2014-15*	बजट अनुमान 2015-16
भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान(आईआईसीए)	8.00	18.23	22.76	21.76	15.54	18.90
कारपोरेट डाटा प्रबंधन (डीसीएम)	0	0	0	0	0	4.00

*दिसम्बर, 2014 तक

अध्याय–VI

सांविधिक निकायों और संबद्ध कार्यालयों के कार्य–निष्पादन की पुनरीक्षा

वित्तीय पुनरीक्षा

(करोड रुपए में)

क्र. सं.	संगठन	व्यय 2012-13	व्यय 2013-14	बजट अनुमान 2014-15	संशोधित अनुमान 2014-15	व्यय 2014-15*	बजट अनुमान 2015-16
1.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)						
	(i) सामान्य सहायता अनुदान	38.02	43.19	28.00	28.00	25.20	30.99
	(ii) वेतन सहायता अनुदान	0	0	17.00	17.00	11.92	20.00
	(iii) पूंजी परिसंपत्तियों के में सहायता अनुदान	0	0	0	0	0	00.01
2.	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	0	0	0.03	0	0	0.14
3.	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपीलीय प्राधिकरण	0	0	0.02	0	0	0.07
4.	विशेष अदालतें	0	0	0.02	0	0	0.02
5.	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण प्राधिकरण	0	0	0.01	0	0	1.29
6.	कंपनी विधि बोर्ड	4.35	4.53	4.55	4.65	3.48	4.45
7.	गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय	8.83	9.25	9.66	10.73	7.51	11.56
8.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण	0	0	5.01	0.16	0	2.67
9.	प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण	4.80	3.90	4.18	4.31	3.06	4.43
10.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण	0	0	1.19	0.04	0	0.17

*दिसम्बर, 2014 तक

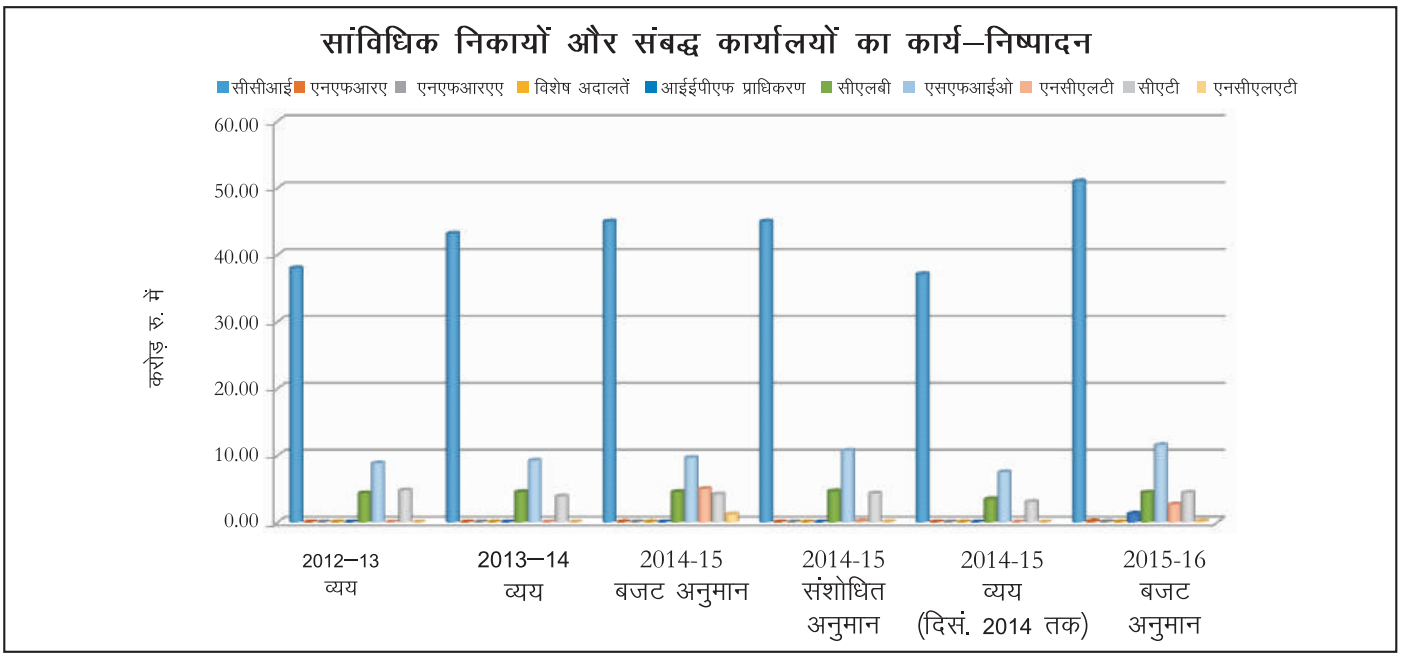

अध्याय–VI
सांविधिक निकायों एवं संबद्ध कार्यालयों के कार्य–निष्पादन का पुनरवलोकन

भौतिक पुनरवलोकन

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)	(1) प्रतिस्पर्धा रोधी करारों पर रोक तथा प्रबल स्थिति पद के दुरुपयोग से संबंधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 एवं 4 का प्रवर्तन।	प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2007 में यथासंशोधित) के लागू होने के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 2014 से 15 दिसंबर, 2014 के दौरान प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 19(1) (क) के तहत 77 और 19(1) (ख) के तहत 8 मामले प्राप्त हुए हैं। 8 मामलों में आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसके अलावा, 1.4.2014 को आयोग में 104 मामले लंबित थे। उक्त अवधि के दौरान कुल 196 मामलों में से 46 मामले धारा 26(2) के अंतर्गत तथा 1 मामला धारा 26 (6) के तहत बंद किए गए और 12 मामलों में धारा 27 के तहत निर्णय लिया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 27 मामले जांच के लिए महानिदेशक (डीजी), सीसीआई को भेजे गए। महानिदेशक ने उपर्युक्त अवधि के दौरान 17 मामलों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत।
	(2) संयोजनों के विनियमन के संबंध में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 एवं 6 का प्रवर्तन ।	अधिनियम में संयोजनों (विलय और अधिग्रहण) के विनियमों से संबंधित प्रावधान भारत सरकार द्वारा 04 मार्च, 2011 को अधिसूचित किए गए एवं 01 जून, 2011 को प्रवृत्त हुए। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान संयोजन प्रभाग में 7 मामलों के आरंभिक शेष के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अंतर्गत 67 नोटिस प्राप्त हुए। इनमें से आयोग ने 10 दिसंबर, 2014 तक 58 नोटिस में अपना अंतिम निर्णय दे दिया है और शेष 16 नोटिस की जांच अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार में की जा रही है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान संयोजक प्रभाग में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 6 की उपधारा (5)

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
		के तहत एक (1) फाइलिंग प्राप्त हुई है जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा भी दर्ज किया गया।
	नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क (आईसीएन) विलय सम्मेलन का आयोजन	आयोग ने नई दिल्ली में 1–2 दिसंबर, 2014 को एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क (आईएनसी) विलय कार्यशाला का आयोजन किया।
	(3) पक्ष समर्थनः प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 49(3) के तहत आयोग प्रतिस्पर्धा विधि एवं नीति के संबंध में जागरूकता पैदा करके एवं प्रशिक्षण देकर प्रतिस्पर्धा समर्थन को बढ़ावा देने हेतु उपयुक्त कदम उठाएगा।	इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा मुद्दों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न नियामक निकायों, नीति निर्माताओं, व्यापार संघों, उपभोक्ता एसोसिएशनों तथा आम जनता के साथ संपर्क बैठकों, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। आयोग द्वारा विभिन्न पक्षकारों, मंत्रालयों/विभागों, अनुसंधान समुदाय, नियामकों, वकीलों, उद्योगों आदि में प्रतिस्पर्धा अर्थशास्त्र, विधि व नीति के क्षेत्र में अनुसंधान क्षमता का विकास भी किया जाता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा निम्नलिखित पहल किए गएः– 1. दिनांक 4 अप्रैल, 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिस्पर्धा मुख्य समूह की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें राज्य में प्रतिस्पर्धा विनिमय के कार्यान्वयन के लिए योजना बनाई गई। 2. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ दिनांक 21 अप्रैल, 2014 को कोलकाता में गृह, विधि, वित्त, विद्युत और परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार की बैठक का आयोजन किया। 3. दिनांक 22 अप्रैल, 2014 को यशवंत राव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और यशदा के अधिकारियों के साथ प्रारंभिक बैठक का आयोजन किया गया। 4. दिनांक 20 मई, 2014 को वार्षिक दिवस व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी अधिकारियों, विधि

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
		फर्मों, अकादमी सदस्यों आदि ने भाग लिया। 5. दिनांक 23 मई, 2014 को उप सचिव, उपभोक्ता संरक्षण इकाई, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली के साथ एक बैठक की गई। 6. दिनांक 23 मई, 2014 को प्रतिस्पर्धा विधि एवं नीति समझना, विषय पर उत्तर प्रदेश में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 7. दिनांक 27 मई, 2014 को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), लखनऊ के साथ 'भारत में प्रतिस्पर्धा नीति– पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। 8. यशदा, पुणे में दिनांक 30 मई, 2014 को यशदा, पुणे के अधिकारियों के साथ प्रतिस्पर्धा अधिनियम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 9. दिनांक 26 जून, 2014 को एसोसिएशन चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (ऐसोचेम) में 'कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुपालन और जटिलता' पर उद्योग जगत के सदस्यों के साथ सेमिनार का आयोजन किया गया। 10. दिनांक 27 जून, 2014 को मुंबई में 'प्रतिस्पर्धा अनुपालन को बढ़ावा' पर उद्योग जगत के सदस्यों के साथ भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) सम्मेलन का आयोजन किया गया। 11. दिनांक 30 जून, 2014 को कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 12. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकारियों के साथ दिनांक 2 जुलाई, 2014 को सरकारी प्रापण पर एक विचारोत्तेजक सत्र का आयोजन किया गया। 13. दिनांक 3 जुलाई, 2014 को मानेसर में प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान (आईएमटी), मानेसर के विद्यार्थियों के साथ 'प्रभावकारक स्थिति का दुरूपयोग : विधि और अर्थशास्त्र' पर

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
		एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। 14. 'प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का परिचय' और 'सार्वजनिक प्रापण में प्रतिस्पर्धा मुद्दे' पर राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी (एनएडीपीद्ध में आयुध सेवा, नागपुर के अधिकारियों के साथ दिनांक 4 जुलाई, 2014 को एक सत्र का आयोजन किया गया। 15. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रतिस्पर्धा समुदाय (एसआईटीसी) में राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनयूजेएस) कोलकाता के विद्यार्थियों के साथ दिनांक 26 जुलाई, 2014 को 'प्रतिस्पर्धा कानून पर चर्चा' की गई। 16. दिनांक 20 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली में 'सार्वजनिक प्रापण और व्यवसाय सुव्यवस्था में सत्यनिष्ठा' विषय पर संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) कार्यशाला का आयोजन किया गया। 17. कोयला मंत्रालय प्रमुख पदधारियों के साथ दिनांक 21 अगस्त, 2014 को एक प्रारंभिक बैठक का आयोजन किया गया। 18. सार्वजनिक उद्यम स्थाई सम्मेलन (स्कोप)–भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कोलकाता में दिनांक 28 अगस्त, 2014 को आईआईएम, कोलकता के विद्यार्थियों के साथ 'प्रतिस्पर्धा कानून के सामरिक आयाम' विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। 19. दिनांक 29 अगस्त, 2014 को उद्योग जगत के सदस्यों के साथ 'बौद्धिक सम्पदा और प्रतिस्पर्धा कानून में इंटरफेस' पर एसोचैम के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 20. उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों के साथ दिनांक 8 सितंबर, 2014 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी (यूपीएएएम) में 'प्रतिस्पर्धा कानून और नीति पर अर्द्धदिवसीय उन्मुख मापदंड' का आयोजन किया गया। 21. दिनांक 8 सितंबर, 2014 को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
		राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (आरएमएलएनएलए) में वहां के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा विधि पर प्रस्तुति दी गई 22. दिनांक 10 सिंतबर, 2014 को इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाईन्स एसोशिएशन ऑफ इंडिया की बैठक का आयोजन इस उद्योग के सदस्यों के साथ किया गया। 23. दिनांक 16 सितंबर, 2014 को कोलकाता के क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशिक्षण संस्थान में आयकर अधिकारियों के साथ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, पर एक सत्र का संचालन किया गया। 24. दिनांक 19 सितंबर, 2014 को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), विमानपतन आर्थिक एवं नियामक प्राधिकरण (एईआरए), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) एंव केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के सदस्यों/अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय नियामकों के साथ प्रतिस्पर्धा विधि एवं इटरफेसश पर बैठक आयोजित की गई। 25. दिनांक 26 सितंबर, 2014 को मसूरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीनों को प्रतिस्पर्धा विधि पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 26. दिनांक 27 सिंतबर, 2014 को नोएडा में भारत में प्रतिस्पर्धा विधि के प्रवर्तन में चुनौतियां पर पीएचडी चेंबर ऑफ कामर्स एंड इडस्ट्रीज (पीएचडीसीसीआई) केशिखर सम्मेलन का आयोजन इस उद्योग के सदस्यों के साथ किया गया। 27. 13 अक्तूबर 2014 को सीसीआई के अधिकारियों के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रतिस्पर्धा नियामक एवं प्रापणश पर प्रस्तुति दी गई। 28. 31 अक्तूबर, 2014 को मुंबई में प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ (एफआईसीसीआई) संगोष्ठी का आयोजन

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
		इस उद्योग के सद्स्यों के साथ किया गया 29. 21 नंवबर, 2014 को ओएनजीसी अधिकारियों कोए भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम में प्रतिस्पर्धा विधि एवं सरकारी खरीद की समीक्षा पर प्रस्तुति एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान की गई। 30. 3 दिसंबर, 2014 को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) काशीपुर में प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 31. 12 दिसंबरए 2014 को पटना में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना (सीआईएमपी) के छात्रों के साथ 'सीआईएमपी में प्रतिस्पर्धा मामले' पर व्याख्यान दिया गया। 32. 12 दिसंबरए 2014 को विश्वबैंक तथा अन्य हितधारकों के साथ प्रचालन खरीद नीति परामर्श पर विश्व बैंक की समीक्षा आयोजित की गई।
	4) आर्थिक विभाजन क) कंपीटीशन समर्थन एवं प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए जनता/विशेषज्ञ/नीति निर्धारक/नियामक निकायों के साथ बातचीत ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त	1. 24 जून 2014 को नई दिल्ली में विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए अधिक शक्तिः विद्युत वितरण में चुनौती पर आयोजित हितधारक चर्चा में एक अधिकारी ने भाग लिया। 2. 24 सितंबर, 2014 को सलाहकार (आर्थिक) ने एक अधिकारी सहित लाइनर शिपिंग कंपनियों के प्रतिलिपि मंडल के साथ वेजल शेयरिंग समझौता (वीएसए) पर छूट बढ़ाने संबंधी दो बैठकों में भाग लिया। 3. 10 तथा 11 नवंबर 2014 को मुंबई में डीजी शिपिंग एवं सीसीआई के बीच प्रतिस्पर्धा, अधिनियम 2002 की धारा 3 के उपबंधो से प्राप्त वीएसए की छूट पर आयोजित संयुक्त समीक्षा बैठक में सलाहकार (आर्थिक) ने एक अधिकारी के साथ भाग लिया। नवबंर 2014 में जी–20 ब्रिस्ब्रेन शिखर सम्मेलन के लिए भारत

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
	संदर्भों का उत्तर ग) आयोजित संगोष्ठी/सम्मेलन/प्रस्तुतीकरण/बातचीत	की विकास रणनीति टेम्पलेट के लिए इनपुट तैयार हो गए है और आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेज दिए गए है। 1. 18 जुलाई, 2014 को भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) ने सीसीआई के समक्ष उनके आर्थिक डेटाबेस के बारे में प्रस्तुती दी। 2. 22 जुलाई, 2014 को भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड (सीआरआईएसआईएल) अनुसंधान ने सीसीआई के समक्ष उनकी आर्थिक डेटाबेस के बारे में प्रस्तुति दी। 3. 1 अगस्त, 2014 को समर्पित अनुसंधान इकाई (डीआरयू) द्वारा 2 प्रस्तुतियां दी गई। यथा– वर्टिकल रेस्ट्रेन्टस एवं प्रतिस्पर्धा विधि और (ii) उत्पादन संघों का पता लगाने के लिए आर्थिक उपकरणों का प्रयोग 4. अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का डेटाबेस तैयार करने की संभावना को खोजने के प्रयास में इन्फ्रालाइन ने 5 अगस्त 2014 को अपनी आर्थिक डेटाबेस के बारे में प्रस्तुति दी। 5. 25 सितंबर, 2015 को समर्पित अनुसंधान इकाई (डीआरयू) द्वारा मूल्य विभेदन, अत्यधिक मूल्य निर्धारण एवं प्रतिस्पर्धा विधिय पर प्रस्तुति का आयोजन किया गया।
	घ) प्रतिस्पर्धा नियामक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हितधारकों की क्षमता का निर्माण	सीसीआई के अधिकारियों द्वारा भाषण/प्रस्तुतियां देना– 1. 9 अप्रैल 2014 को सलाहकार (आर्थिक) ने भ प्रतिस्पर्धा विधि एवं अर्थव्यवस्था–5 वें आंतरिक प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम" पर एक बैठक ली। 2. 22 मई, 2014 को नोएडा में एक अधिकारी ने पीएचडीसीसीआई कारपोरेट लीगल काउन्सेल शिखर सम्मेलन में प्रतिस्पर्धा विधि सत्र के लिए पैनेलिस्ट के रूप में भाग लिया। 3. एक अधिकारी ने नौलेज डेवेलपमेंट ऑन अब्युज़ ऑफ डौमिनेन्सः पर से वर्सेस रूल ऑफ रीजन पर पीयर टू पीयर सेशन के तहत प्रस्तुति दी। 4. 29 अक्तूबर, 2014 को सलाहकार (आर्थिक) ने हाल ही में कार्यग्रहण करने वाले सीसीआई अधिकारियों के लिए

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
		प्रतिस्पर्धा विधि एवं अर्थव्यवस्था", छठां आतंरिक प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम पर एक व्याख्यान दिया। 5. 31 अक्तूबर, 2014 को सीसीआई के एक अधिकारी ने हाल ही में कार्यग्रहण करने वाले सीसीआई अधिकारियों के लिए भ अब्यूज़ ऑफ डामिनेन्ट पोजिशन केस स्टेडिज़" छठा आंतरिक प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम पर एक व्याख्यान दिया। 6. 8 नवंबर, 2014 को सलाहकार (आर्थिक) ने भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) में प्रतिस्पर्धा विधि के लिए मूलभूत आर्थिक सिद्धांत पर आनलाइन सेशन दिया।
	ड) संगोष्ठी/प्रशिक्षण में प्रतिभागिता	आर्थिक प्रभाग के अधिकारियों ने अपने अधिकारियों के लिए आयोग की क्षमता निर्माण पहल के भाग के रूप में देश के भीतर एवं बाहर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। 1. 2 जुलाई 2014 को एक अधिकारी ने समर्थन प्रभाग द्वारा आयोजित सरकारी खरीद पर हुए विचारोत्तेजक सत्र में भाग लिया। 2. 11 जुलाई 2014 को एक अधिकारी ने क्षमता निर्माण प्रभाग द्वारा आयोजित समकक्ष व्यक्तियों के माध्यम से ज्ञान प्रबंधन पर हुए विचारोत्तेजक सत्र में भाग लिया। 3. 17 जुलाई 2014 को एक अधिकारी ने पुस्तकालय द्वारा आयोजित वेस्टला पर हुए प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया। 4. 18 जुलाई 2014 एक अधिकारी ने एयरलाइन प्रतिस्पर्धा पर हुए पीयर टू पीयर सत्र में भाग लिया। 5. सलाहकार (आर्थिक) ने 19 सितंबर, 2014 को 'डिजीटल साक्ष्यों की ई–जांच, वसूली एवं विश्लेषण' जिस पर धोखाधड़ी प्रबंधन एवं डिजीटल फोरेंसिक उद्यम के प्रमुख श्री कृष्णा शास्त्री पंडयाला ने व्याख्यान दिया था, में भाग लिया।

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
	च) आयोग के इटरनेट पर रखे गए/प्रकाशित परामर्श कागजात	6. सलाहकार (आर्थिक) ने दिनांक 10–12 सितंबरए 2014 को जोहनेसबर्ग (साउथ) अफ्रीका) के निकट स्र्टकफोन्टिएन में रिसर्च आईसीटी अफ्रीका द्वारा सह–आयोजित क्या काम करता है, हम क्यों और कैसे जानते है' पर सीपीआर साउथ 2014 सम्मेलन में भाग लिया। आयोग ने निम्नलिखित परामर्श कागजात तैयार कर प्रकाशित किए/इन्टरनेट पर लोड किए। i) आनलाइन बाजार में वर्टीकल अवरोध ii) प्रभावकारी स्थिति की दुरूपयोगिता के मामले में प्रमाणिक मुद्दें iii) स्वतः बनाम कारणों के नियम में प्रभावकारी स्थिति की दुरूपयोगिता iv) स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए प्रांसगिक बाजार को निर्दिष्ट करना। v) बैंक विलयन में छूट vi) विलय उपचार से रहस्य हटाना vii) कई नियामक viii) एक सुधार के रूप में कड़ी प्रतिस्पर्धा ix) भारतीय उद्यमों की प्रतिद्वंद्विता x) औषधि वर्गीकरण की प्रणाली
	5. इर्न्टनशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम	छात्र समुदाय में क्षमता निर्माण कार्यक्रम के भाग के रूप में आयोग उन्हें इर्न्टनशिप सुविधा प्रदान करती है। अप्रैल 2014 से नवबंर 2014 के बीच 52 छात्रों ने विभिन्न प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों पर आयोग के साथ इर्न्टनशिप की है।
	6. क्षमता निर्माण **i) प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम**	क) पांचवा आन्तरिक प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम सीसीआई में सीधी भर्ती अधिकारी जिन्होंने नया कार्यभार संभाला था तथा महानिदेशक कार्यालय के अधिकारियों के लिए 7,9,11,15 व16 अप्रैल, 2014 के दौरान आयोजित किया गया।

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
		ख) आधे दिवस का अभिमुख कार्यक्रम महानिदेशक कार्यालय में कार्यभार संभालने वाले नए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। ग) छठा आंतरिक प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम 29–31 अक्तूबर के दौरान आयोजित किया गया।
	ii) भारत में प्रशिक्षण / कार्यशाला / सेमिनार	क) सीसीआई के अधिकारियों नें ब्यूरों आफ पालियामेन्टरी स्टडीज एंड ट्रेनिग (बीपीएसटी) द्वारा 22 से 25 अप्रैल तक संसदीय प्रक्रियाएं और कार्यप्रणालियों पर प्रशिक्षण में भाग लिया। ख) सीसीआई अधिकारियों के लिए विशिष्ट कार्यशाला ईयू–व्यापार एवं विकास के लिए क्षमता स्थापना (सीआईडी) कार्यक्रम मई, 2014 के दौरान आयोजित किया गया कार्यशाला निम्नानुसार है। • प्रारंभिक जांच पर कार्याशाला 15–17 मई 2014 के दौरान • संयुक्त मामलों में आदेशों का आलेखन पर कार्यशाला 19–20 मई 14 के दौरान • समर्थन पर कार्यशालाः सीसीआई के आदेशों पर सार्वजनिक पहुंच 21 मई 2014 को ग) सीसीआई अधिकारियों के लिए वित्तीय विश्लेषण पर आधे दिन की कार्यशाला 4 जुलाई 2014 को आयोजित की गई घ) सीसीआई अधिकारियों के लिए आधे दिन की कार्यशाला संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि पर 31 जुलाई 2014 को आयोजित की गई। ड़) सीसीआई के लिए सूचना अनुरोध एवं मामला विश्लेषण पर 2 चरण व्यापार विकास पर क्षमता निर्माण पहल (सीआईटीडी) कार्यशालाओं का आयोजन 31 जुलाई 2 अगस्त 2014 तक महानिदेशक कार्यालय सीसीआई में आयोजित की गई।

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
		च) एक अधिकारी ने प्रशिक्षकों के विकास कार्यक्रम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनएटीआर एसएस नई दिल्ली में 20–22 अगस्त 2014 के दौरान भाग लिया। छ) आईआईपीए नई दिल्ली द्वारा सीसीआई अधिकारियों के लिए प्रस्तुति एवं संवाद कुशलताओं पर प्रशिक्षण 27–29 अगस्त 2014 को आयोजित किया गया । ज) सीसीआई अधिकारियों के लिए आधे दिन की कार्यशाला औद्योगिक संगठन एवं व्यष्ठि अर्थशास्त्र पर दिनांक 15 सितंबर 2014 को आयोजित की गई। झ) सीसीआई अधिकारियों के लिए संयुक्त राष्ट्र फेडरल ट्रेड कमीशन (यूएसएफटीसी) के सहयोग से एक कार्यशाला कम्पीटीशन इनेवेस्टीगेशन एंड मर्जर रिव्यू इन हेल्थकेयर इन्डस्ट्री पर 22 से 24 सितबंर 2014 को आयोजित की गई। ञ) सीसीआई अधिकारियों के लिए आधे दिन की कार्यशाला आदेशों/निर्णयों के पठन एवं विश्लेषण पर दिनांक 10 अक्तूबर 2014 को आयोजित की गई। ट) सीसीआई अधिकारियों के लिए प्रतिस्पर्धा मूल्याकंन पर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के सहयोग से एक कार्यशाला 15–16 अक्तूबर 2014 को आयोजित की गई।
	iii) भारत के बाहर प्रशिक्षण/कार्यशाला/सेमिनार	क) सीसीआई अधिकारियों ने ओईसीडी एवं ओईसीडी–कोरिया नीति केन्द्र के निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। • दो अधिकारियों ने 3–5 जून 2014 को जेजू दीप कोरिया में ऐविडेन्शरी इश्यूज इन ऐस्टेबलिशिंग एब्यूज आफ डोमिनेन्स पर कार्यशाला में भाग लिया। • दो अधिकारियों नें 3–5 दिसंबर 2014 को बूसन कोरिया में आयोजित खुदरा में प्रतिस्पर्धा विषय पर कार्यशाला में

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
		भाग लिया ख) एक अधिकारी ने दिनांक 9–13 जून 2014 को टोक्यो जापान में जापान फेयर ट्रेड कमीशन (जेएफटीसी) और ऐशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा एशियाई देशों के लिए प्रतिस्पर्धा नियम एवं नीति पर द्वितीय प्रशिक्षण पाठयक्रम में भाग लिया। ग) एक अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र फेडरल ट्रेड कमीशन (यूएसएफटीसी) के अंतराष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम में दिनांक 2 सिंतबर से अक्तूबर 2014 के मध्य तक वाशिगटन डी.सी, यू. एस में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। घ) एक अधिकारी ने यूएसएफटीसी द्वरा 22–26 सितंबर 2014 तक वाशिगटन डी.सी. अमेरिका में सेफ वेब इन्र्टशिप कार्यक्रम में भाग लिया। ड) एक अधिकारी ने ताईपे जापान में 1–3 अक्तूबर, 2014 तक अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क (आईसीएन) कार्टेल कार्यशाला में भाग लिया।
	iv) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	क) समझौता ज्ञापन (एमओयू) :– 1) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) व प्रतिस्पर्धा आयुक्त, कम्पीटीशन ब्यूरो कनाडा (सीबी) के मध्य एक समझौता ज्ञापन प्रतिस्पर्धा नियमों को लागू करने मे सहयोग पर, 1 दिसंबर, 2014 को 2014 को आईसीएन मर्जर कार्यशाला की तर्ज पर हस्ताक्षरित किया गया। ख) कमीशन में विदेशी सरकारों, विदेशी प्रतिस्पर्धा प्राधिकारियों, बहुपक्षीय संस्थाओं एवं द्विपक्षीय बैठकों हेतु आए अंतराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंण्डलों का विवरण 1) यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन के श्री डेनियल डयूकोर एवं श्री पोल ओ ब्रियन एवं यूएस न्याय विभाग की सुश्री पैटी ब्रिन्क एवं सुश्री मिचेल रिन्डन ने कमीशन के अधिकारियों के साथ दिनांक 3 दिसंबर 2014 को यूएस ऐजेन्सियों की प्रक्रिया एवं संरचना प्रभावी राहत एवं उनके आदेशों की अनुपालना पर वार्ता मे अपने अनुभव साझा

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
		किए। ग) कमीशन के अध्यक्ष, सदस्यों या अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्राए 1) श्री अशोक चावला अध्यक्ष सीसीआई ने दो अधिकारियों के साथ 13 आईसीएन वार्षिक कान्फेन्स दिनांक 22–35 अप्रैल को माराकीच मोरक्को में आयोजित की गई थी में भाग लिया। 2) दिनांक 23–27 जून 2014 को सिंगापुर में आयोजित रीजनल काम्प्रीहेन्सिक इकनोमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) टेड नेगोशिएटिंग कमेटी (टीएनसी) की 5 वी बैठक में सलाहकार सीसीआई ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया। 3) सदस्य, सीसीआई ने एक अधिकारी के साथ 7 से 11 जुलाई 2014 को जिनेवा स्विटजरलैंड में आयोजित 14 अंत सरकारी विशेषज्ञ दल (आईजीई) की अंकटाड की प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीति में भाग लिया 4) सदस्य सीसीआई ने 8 वी वार्षिक प्रतिस्पर्धा क्रान्फेन्स और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिस्पर्धा आयोग की 15 वी सालगिरह पर 4–5 सितंबर 2014 को जोर्हनसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। 5) 4 सितंबर 2014 को सियोल कोरिया में 8 वें सियोल अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा फोरम में सलाहकार सीसीआई ने भाग लिया। 6) अध्यक्ष सीसीआई ने 8–10 सितबंर 2014 को सेट पीटर्सबर्ग रूस में वार्षिक अंतराष्ट्रीय एशियन प्रतिस्पर्धा दिवस 2014 में भाग लिया 7) अध्यक्ष सीसीआई ने सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में अंतराष्ट्रीय बार एसोशियेसन (आईबीए) कान्फेस और एशियन एनफोरर्सस की राऊन्डटेबल में दिनांक 20–21 अक्तूबर को भाग लिया 8) सदस्य, सीसीआई ने 6–7 नवंबर 2014 को पोर्ट लुईस मारिशस में आईसीएन एडवोकेसी स्ट्रेटजी एंड एसेसमेन्ट

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
		2014 में भाग लिया। घ) व्यापार वार्ता एवं व्यापार नीति पुनरीक्षण 1) सलाहकार, सीसीआ ने नई दिल्ली में 20 नवंबर को डब्ल्यू टीओ द्वरा भारत में छठी व्यापार नीति पुनरीक्षम विषय पर बैठक में भाग लिया। 2) सलाहकार सीसीआई एवं एक अधिकारी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में 1 से 5 दिसंबर 2014 नई दिल्ली में 6 बी रीजनल काम्प्रीहेसिव इकोनोमिक पार्टर्नशिप (आरसीईपी) ट्रेड नेगोशिएटिग कमेटी (टीएनसी) बैठक और 3 आरसीईपी कार्यकारी दल की प्रतिस्पर्धा पर बैठक में भाग लिया।
	v) विशेष अतिथि ज्ञान साझेदारी श्रृंखला	क) विख्यात लेखक श्री गुरूचरण दास द्वारा ए फाइन बैलेन्स रेग्यूलेटर्स एंड दी मार्केट पर 4 अगस्त 2014 को सीसीआई में 11वीं विशेष अतिथि ज्ञान साझेदारी श्रृख्ज्ञल्ज्ञ व्याख्यान दिया गया। ख) श्री गजेन्द्र हल्दिया ने विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा विवाद विषय सीसीआई में 17 सितंबर 2014 को 12वीं भविष्य अतिथि ज्ञान साझेदारी श्रृंखला व्याख्याान दिया।
	vi) न्यूजलैटर	इस अवधि के दौरान फेयर प्लेप्लेश न्यूजलैटर का 8वां, 9वां और 10वां अंक प्रकाशिज्ञानत किया गया।

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
	7) कार्मिकों की नियुक्ति	
	i) प्रतिनियुक्ति के आधार पर	इस अवधि के दौरान 4 व्यावसायिकों एवं 19 समर्थन स्टाफ की कमीशन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की गई इसमें अलावा 8 व्यावसायिकों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति महानिदेशक, सीसीआई कार्यालय में की गई।
	ii) सीधी भर्ती	सीधी भर्ती के 4 चरण में 22 अभ्यार्थियों का चयन विभिन्न कोटियों में उनकी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर जो अप्रैल 2013 और अगस्त 2013 को आयोजित हुआ के आधार पर किया गया। उनमें से 21 अभ्यर्थियों ने उनकी नियुक्ति प्रकिया के पूरा होने पर पूर्व में ही कमीशन में कार्यभार ग्रहण कर लिया।
	iii) अनुसंधान सहायकों एवं व्यावस्थायिकों की सेवाएं लेना (संविदा आधार पर)	प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अतंर्गत बनाए गए विनियमनों की शर्तों में 31 अनुसंधान सहायकों आरए/ विशेषज्ञ एवं व्यावसायिक जो कानून, अर्थशास्त्र एवं वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र में है की 1 वर्ष की अवधि के लिए सेवाएं ली गई। जिनमें से 12 अनुसंधान सहायकों ने त्यागपत्र दे दिया। 11 अनुसंधान सहायकों/ विशेषज्ञों एवं व्यावस्यायिक जो कानून, अर्थशास्त्र, वित्तीय विश्लेषण और प्रबंध क्षेत्र से है, 1 वर्ष के लिए आगे सेवा विस्तार दिया गया। इसके आगे विशेषज्ञ/आरए के लिए विनियमनों में सुधार किया गया और उसे 21.11.2014 को अधिसूचित किया गया।
	iv) अनुसचिवीय सहायकों की सेवाएं (संविदा के आधार पर)	2 सलाहकारों की सेवाएं 1 वर्ष के लिए 2014–15 में ली गई। जिनमें से 1 सलाहकार की सेवा 6 महीनों के लिए बढ़ाई गई। 11 निजी सचिवों की सेवाओं में 1 वर्ष का विस्तार दिया गया। इसके आगे यह निर्णय लिया गया कि सभी सलाहकारों एवं निजी सचिवों की सेवाएं आउटसोर्स आधार पर ली जाएगी।
कंपनी विधि बोर्ड	कंपनी विधि बोर्ड चूंकि एक अर्द्ध–न्यायिक निकाय है वह कंपनी अधिनियम, 1956 के	वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक 11,877 पिटीशन/अर्जियों पर बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
	अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक न्यायालय में निहित शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। दायर की गई अर्जियों/पिटिशनों को अधिकांश संख्या में त्वरित रूप से निबटान के प्रयास किए जाते है।	विभिन्न धाराओं के अंतर्गत विचार किया। जिनमें से 7,670 पिटीशन/अर्जियों का उल्लिखित अवधि में निबटान किया गया। 184 पिटीशन/अर्जियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 43] 79]80क, 111/111क, 113/113क, 117, 117ग, 144, 163, 167, 186, 196, 219, 235, 237(ख)247/250, 269, 284, 304, 397/398 के अंतर्गत निबटान किया गया। 854 मामलों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 621क के अंतर्गत प्रशमन किए गए और 4976 आर्जियों का निबटान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क(9),58 कक और भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम, 1934 की 45 क्यूए के अंतर्गत निबटान किया गया। 2. सीएलबी नई दिल्ली में हार्डशिप समिति की बैठकें जमाकर्ताओं द्वारा दायर अर्जियां जो 08 कंपनियों के संबंध में विपत्ति के आधार पर जमा राशि वापस करने के आधार पर दायर की गई थी आयोजित की गई। अवधि के दौरान 1.4.2014 से 31.12.14 तक 29426 करोड़ रूपए (अनुमानत) राशि जर्माकर्ताओं को वितरित की गई। रिफन्ड के चैकों/ड्राफ्टों को सीएलबी द्वारा वितरित किए जाते है जो सीएलबी में हार्डशिप आधार पर दायर मामलों के संबंध में कंपनियों से प्राप्त होते है। 3. कंपनी विधि बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 1.4.2014 से 31.12.14 तक पिटीशन/अर्जियां जो अग्रेषित की गई, प्राप्त की गई और निबटान का विवरण अनुलग्न 1 में दिया गया है।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय	(क) जांच प्रक्रिया का स्वचालन (i) यंत्रों की तैनाती (ii) प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	(i) ओटोमेशन केस मैनेजमेंट टूल को सफलतापूर्वक नंवबर, 2014 के दौरान सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। (ii) ओटोमेशन केस मैनेजमेन्ट टूल पर अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है।

संगठन का नाम	2014–15 के लिए दिए गए लक्ष्य	वर्ष 2014-15 (दिसम्बर-2014 तक) के दौरान वास्तविक परिणाम
	(ख) पूर्व चेतावनी प्रणाली को अंतिम रूप देना	
	(i) पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) को आगे परिष्कृत करना	(i) पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यशूएस) को आगे परिष्कृत करने का प्रस्ताव 30.06.2014 को पूरा कर लिया गया।
	(ii) एमसीए द्वारा एसएफआईओ को 31.03.2013 तक संदर्भित मामलों पर जांच पूरा करना	(ii) एसएफआईओ को एमसीए द्वारा संर्दभित 09 मामलों को छोड़कर सभी मामलों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। इन मामलों में 8 मामलों पर विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों/एमसीए द्वारा या तो स्थगन लगा दिया या वापिस ले लिया गया। जबकि शेष 1 मामले में जांच जारी है।
	(iii) पदनामित न्यायालयों में शिकायतें दर्ज करना, उन मामलों में जहां अभियोजन स्वीकृति 31.03.2013 तक प्रदान कर दी गई।	(iii) पदनामित न्यायालयों में शिकायते उन सभी मामलों में दायर की गई जिनमें 31.03.2013 तक अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी केवल 21 शिकायतों को छोड़कर जिनका विवरण नीचे दिया गया है। (क) 17 शिकायतों के लिए विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों से निदेश प्रतीक्षित है। जैसे ही ऐसे निदेश प्राप्त होगें, शिकायते पदनामित न्यायालयों में शीघ्रता से दायर की जाएगी। (ख) शेष 4 शिकायतों में उपयुक्त कार्रवाई प्रगति पर है।
	<u>जांच एवं अभियोजन</u> कोई भौतिक लक्ष्य एसएफआईओ को नही दिए गए थे	**जांच** 1. 2014–15 के दौरान (31.12.14 तक) 36 अभियोजन के मामले शुरू किए गए **(अनुलग्नक–II)** 2. 2014–15 के दौरान (31.12.14 तक) 50 अभियोजन मामले विभिन्न पदनामित न्यायालयों में दायर किए गए **(अनुलग्नक–III)**

अनुलग्नक–I

पाठ–VI पेज.....

कंपनी विधि बोर्ड

दिनांक 1.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि के लिए पिटिशन/अर्जियों की प्राप्ति/ निबटान व लंबित का समेकित विवरण

क्रं. सं.	कंपनी अधिनियम, 1956 व 2014 की धाराएं	शेष	प्राप्तियां	कुल	निबटान	लंबित (कॉलम 4–5)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	धारा 43	0	0	0	0	0
2.	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 थ क	2	0	2	0	2
3.	धारा 58 क(9)	2357	2749	51016	4975	131
4.	धारा 58कक(1)	3	3	6	1	5
5.	धारा 79/80क	0	1	1	1	0
6.	धारा 113/113(3)	6	1	7	5	2
7.	धारा 117	0	0	0	0	0
8.	धारा 117ग	4	3	7	2	5
9.	धारा 118	0	0	0	0	0
10.	धारा 144	0	0	0	0	0
11.	धारा 163	117	1	118	9	109
12.	धारा 164	9	5	14	5	9
13.	धारा 169	1	0	1	1	0
14.	धारा 186	2	7	9	5	4
15.	धारा 196	1	0	1	1	0
16.	धारा 219	42	1	43	15	28
17.	धारा 284	0	0	0	0	0
18.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73/74	0	6	6	3	3
19.	धारा 614	24	6	30	19	11
20.	धारा 621क	668	1077	1745	854	891
21.	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111/111क और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 58/59	198	50	248	49	199
22.	धारा 634क	24	5	29	3	26
23.	धारा 235	6	1	7	0	7
24.	धारा 237(ख)	20	3	23	1	22
25.	धारा 284(4)	1	0	1	0	1

क्रं. सं.	कंपनी अधिनियम, 1956 व 2014 की धाराएं	शेष	प्राप्तियां	कुल	निबटान	लंबित (कॉलम 4–5)
26.	धारा 397/398	1382	311	1693	251	1442
27.	धारा 408	0	1	1	0	1
28.	धारा 4	1	0	1	1	0
29.	धारा 247/250	9	1	10	5	5
30.	धारा 269	0	0	0	0	0
31.	धारा 388ख	13	1	14	0	14
32.	वादकालीन आवेदन	701	726	1427	512	915
33.	विविध आवेदन	230	1097	1327	952	375
	कुल योग	**5823**	**6059**	**11881**	**7675**	**4213**

अनुलग्नक–II

पाठ–VI, पेज.....

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

मंत्रालय को प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्टों की सूची (31.12.14 तक)

क्रं. सं.	कंपनी का नाम	जांच आदेश की दिनांक	रिपोर्ट प्रस्तुति
1.	मैसर्स सारधा रियल्टी इंडिया लि.	1.05.2013	04.07.2014
2.	मैसर्स सारधा एग्रो डेवलपमेंट लि.	1.05.2013	04.07.2014
3.	मैसर्स सारधा एक्सपोर्ट्स लि.	1.05.2013	04.07.2014
4.	मैसर्स सारधा शॉपिंग मॉल प्रा.लि.	1.05.2013	04.07.2014
5.	मैसर्स सारधा प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन प्रा. लि.	1.05.2013	04.07.2014
6.	मैसर्स सारधा टयूर्रस एंड ट्रेवल्स प्रा. लि.	1.05.2013	04.07.2014
7.	मैसर्स सारधा एजूकेशन एंटरप्राइज लि.	1.05.2013	04.07.2014
8.	मैसर्स सारधा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि.	1.05.2013	04.07.2014
9.	मैसर्स सारधा गार्डन रिसॉर्ट्स एंड होटल प्रा. लि.	1.05.2013	04.07.2014
10.	मैसर्स सारधा लैंडमार्क सीमेंट प्रा. लि.	1.05.2013	04.07.2014
11.	मैसर्स रोज कैपिटल लि.	1.05.2013	04.07.2014
12.	मैसर्स बंगाल मीडिया प्रा. लि.	1.05.2013	04.07.2014
13.	मैसर्स भासैंक फूड प्रा. लि.	1.05.2013	04.07.2014
14.	मैसर्स ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स लि.	1.05.2013	04.07.2014
15.	मैसर्स स्पीक एशिया आनलाइन	10/08/2011 एंड 13/12/2012	15-09-2014
16.	मैसर्स तुलसियत टेक प्रा. लि.	06.03.2013	15.09.2014
17.	मैसर्स सीमलेस आउटसोर्सिंग एलएलपी	06.03.2013	15.09.2014
18.	मैसर्स रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लि.	01.05.2013	03.12.2014
19.	मैसर्स रोज वैली इंडस्ट्रीज लि.	01.05.2013	03.12.2014
20.	मैसर्स सिल्वर वैली कम्युनिकेशंस लि.	01.05.2013	03.12.2014

क्रं. सं.	कंपनी का नाम	जांच आदेश की दिनांक	रिपोर्ट प्रस्तुति
21.	मैसर्स रोज वैली फूट बेवरेजेज लि.	01.05.2013	03.12.2014
22.	मैसर्स रोज वैली मार्केटिंग इंडिया लि.	01.05.2013	03.12.2014
23.	मैसर्स रोज वैली इंफोटेक प्रा. लि.	01.05.2013	03.12.2014
24.	मैसर्स रोज वैली होटल्स एंड एंटरटेनमेंट लि.	01.05.2013	03.12.2014
25.	मैसर्स रोज वैली प्रोजेक्ट्स लि.	01.05.2013	03.12.2014
26.	मैसर्स रोज वैली पत्रिका लि.	01.05.2013	03.12.2014
27.	मैसर्स रोज वैली फिल्म्स लि.	01.05.2013	03.12.2014
28.	मैसर्स मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स प्रा. लि.	01.05.2013	03.12.2014
29.	मैसर्स रोज वैली ट्रेवल्स प्रा. लि.	01.05.2013	03.12.2014
30.	मैसर्स ब्रांड वैल्यू कम्युनिकेशंस लि.	01.05.2013	03.12.2014
31.	मैसर्स रोज वैली हाउसिग डवलेपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन लि.	01.05.2013	03.12.2014
32.	मैसर्स रोज वैली एयरलाइन्स लि.	01.05.2013	03.12.2014
33.	मैसर्स रूपसी फैशन्स प्रा. लि.	01.05.2013	03.12.2014
34.	मैसर्स रूपसी बंगला प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	01.05.2013	03.12.2014
35.	मैसर्स रूपसी बंगला मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लि.	01.05.2013	03.12.2014
36.	मैसर्स रोज वैली रियलकॉम लि.	01.05.2013	03.12.2014

अनुलग्नक–III

पाठ–VI पेज.....

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

दिनांक 1.4.2014 से 31.12.2014 तक दायर शिकायतों की संख्या

क्रं. सं.	कंपनी का नाम	कारपोरेट विधि	आईसीएआई	अन्य	योग
1.	मैसर्स वैष्णवी कारपोरेट कम्युनिकेशंस प्रा. लि.	1	0	0	1
2.	मैसर्स वैष्णवी एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लि.	1	0	0	1
3.	मैसर्स लेजर क्लब्स प्रा. लि.	1	0	0	1
4.	मैसर्स क्लेरो कंसल्टेंसी प्रा.लि.	1	0	0	1
5.	मैसर्स मैजिक एयरलाइन्स प्रा. लि.	1	0	0	1
6.	मैसर्स मानसी एग्रो प्रा. लि.	1	0	0	1
7.	मैसर्स क्राउनमार्ट इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लि.	1	0	0	1
8.	मैसर्स विटकॉम कंसल्टिंग प्रा. लि.	1	0	0	1
9.	मैसर्स न्यूकॉम कंसल्टिंग प्रा. लि.	1	0	0	1
10.	मैसर्स डेक्कन क्रॉनिकल	0	0	1	1
11.	मैसर्स सारधा रियल्टी इंडिया लि.	0	1	0	1
12.	मैसर्स सारधा एग्रो डेवलपमेंट लि.	1	0		
13.	मैसर्स सारधा एक्सपोर्ट्स लि.	1	0	0	1
14.	मैसर्स सारधा शॉपिग माल प्रा. लि.	1	0	0	1
15.	मैसर्स सारधा एजूकेशन इंटरप्राइजेज लि.	1	0	0	1
16.	मैसर्स सारधा लैंडमार्क सीमेंट प्रा. लि.	1	0	0	1
17.	मैसर्स रोज कैपिटल लि.	1	0	0	1
18.	मैसर्स बंगाल मीडिया प्रा. लि.	2	0	0	2
19.	मैसर्स ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स लि.	1	1	0	2
20.	मैसर्स सावित्री फिनलीस सिक्योरिटीज लि.	1	0	0	1
21.	मैसर्स मेटास इंफ्रा. लि.	3	0	0	3

क्रं. सं.	कंपनी का नाम	कारपोरेट विधि	आईसीएआई	अन्य	योग
22.	मैसर्स रीबॉक इंडिया कंपनी (अनलिमिटेल लिएबिलिटी क.)	1	8	0	9
23.	मैसर्स के.एन.पी. सिक्योरिटीज. लि.	0	1	0	1
24.	मैसर्स वीएन पारीख लि.	0	1	0	1
25.	ट्राइंफ सिक्योरिटीज प्रा.लि.	0	1	0	1
26.	मैसर्स अब्सिन्डया नेटवर्क लि.	0	1	0	1
27.	क्लासिक शेर्यस एंड स्टाक ब्रोकिंग सर्विर्सेज लि.	0	1	0	1
28.	चित्रकूट कंप्युटर्स प्रा. लि.	0	1	0	1
29.	गोल्डफिश कंप्युटर्स प्रा. लि.	0	1	0	1
30.	साई मंगल इन्वेस्ट्रेड लि.	0	1	0	1
31.	पैथर इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टस लि.	0	2	0	2
32.	नक्षत्र साफ्टवेयर प्रा. लि.	0	1	0	1
33.	सीसा इडंस्ट्रीज लि.	0	1	0	1
34.	डाइमेंशनस इन्वेस्टमेंट एंड सिक्युरिटीज. लि.	3	0	0	3
35.	मैसर्स केएनएस इनफ्राकॉम प्रा. लि.	0	0	1	1
	कुल	**26**	**22**	**2**	**50**